छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 (पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 20 मई, 2024

**प्रति,**

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़.

**विषयः– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 (यथासंशोधित) एवं उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों का एकजाई/अद्यतन संकलन का प्रकाशन।**

––00––

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं उसमें समय–समय हुए संशोधनों का समावेश करते हुए तथा उक्त नियम अंतर्गत जारी परिपत्रों का **दिनांक 01 अप्रैल, 2024 की स्थिति में** एकजाई संकलन कर, शासकीय मुद्रणालय नवा रायपुर के माध्यम से एक किताब के रूप में प्रकाशन कराया गया है, जिसकी प्रति कार्यालयीन उपयोग हेतु संलग्न प्रेषित है।

उक्त संकलन सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में भी उपलब्ध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार.

(एस.के. सिंह)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 1–1/20217/1–3 (पार्ट–1) नवा रायपुर, दिनांक 20 मई, 2024

**प्रतिलिपिः–**

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़
4. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर
5. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
6. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर

क्रमशः ..... 2

9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर
10. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/छ.ग. सूचना आयोग, नवा रायपुर
11. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, गांधी चौक, रायपुर
12. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
13. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
14. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
15. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
16. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, (NIC) की ओर सा.प्र.वि. की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड हेतु।
17. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (पुस्तकालय/अभिलेखाकार शाखा), मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर किताब की 5–5 प्रतियां संलग्न है।

**की ओर सूचनार्थ प्रेषित।**

20.5.24

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालयीन उपयोग के लिये

# छत्तीसगढ़ शासन
# सामान्य प्रशासन विभाग

# छत्तीसगढ़ सिविल सेवा
# (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

(01 अप्रैल, 2024 तक यथासंशोधित)

## तथा

## उसके तहत् जारी निर्देश/परिपत्रों का संकलन

शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर
2024

कार्यालयीन उपयोग के लिये

# छत्तीसगढ़ शासन
# सामान्य प्रशासन विभाग

# छत्तीसगढ़ सिविल सेवा
# (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

**(01 अप्रैल, 2024 तक यथासंशोधित)**

## तथा

## उसके तहत् जारी निर्देश/परिपत्रों का संकलन

शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर
2024

# छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

## विषय सूची


| नियम | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1 | संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ | 1 |
| 2 | परिभाषाएं | 1 |
| 3 | विस्तार तथा प्रयुक्ति | 1 |
| 4 | वर्गीकरण | 2 |
| 5 | नियुक्ति के लिए पात्रता | 2 |
| 6 | अनर्हताएं | 3 |
| 7 | भरती का तरीका | 4 |
| 8 | परिवीक्षा | 4 |
| 9 | स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिए परीक्षण | 5 |
| 10 | पदक्रम सूची | 6 |
| 11 | राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में तैयार की गई पदक्रम सूचियां | 6 |
| 12 | वरिष्ठता<br>(1) सीधी भरती किये गये तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता<br>(2) स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता<br>(3) विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता<br>(4) तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता | 6–9 |
| 13 | पदोन्नति | 9 |
| 14 | प्रत्यावर्तन तथा पुनर्नियुक्ति | 9 |
| 15 | रक्षोपाय | 9 |
| 16 | छूट | 9 |
| 17 | निर्वचन | 10 |
| 18 | निरसन तथा व्यावृत्ति | 10 |


———00———

**छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं उसमें समय–समय पर किये गये संशोधन तथा उसके तहत जारी निर्देश/परिपत्रों की तिथिवार अनुक्रमणिका सूची**

**(दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में)**

| स. क्र. | नियम एवं उसमें किये गये संशोधन | जारी अधिसूचना/परिपत्र/निर्देश क्रमांक एवं दिनांक | रिमार्क | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 | दिनांक 13.07.1961 को जारी (जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 04.08.1961 के भाग–4 में प्रकाशित हुआ) | नियम। | 1–10 |
| 2. | नियम 8 में, उप नियम (2) के टिप्पणी का लोप एवं उप नियम (6) स्थापित तथा उप नियम (7) अंतःस्थापित | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 3–15–74–3–एक, दिनांक 09.12.1974 | सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर स्थायीकरण के संबंध में | 11 |
| 3. | | एफ 3–15/74/3/1, दिनांक 09.12.1974 | शासकीय सेवकों को अन्य पदों में सीधी भरती से नियुक्त करने की कार्य प्रणाली तथा वेतन निर्धारण | 12–13 |
| 4. | | एफ 3–6/77/3/1, दिनांक 30.05.1977 | परिवीक्षा काल पर नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के संबंध में । वरिष्ठता के संबंध में भी उल्लेख है। | 14–16 |
| 5. | | क्र. 288/636/1(3) 79, दिनांक 06.06.1979 | छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण | 17–18 |
| 6. | | क्र. 147/380–1(3) 80, दिनांक 31.03.1980 | मूलभूत नियम 22(सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(6) के अंतर्गत परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति के पक्ष में प्रमाण–पत्र के आधार पर स्थायी मानना। | 19–20 |
| 7. | नियम 9 में संशोधन | अधिसूचना क्र. सी/3–4/87/3/1, दिनांक 07.05.1987 | स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिए परीक्षण के संबंध में | 21–22 |
| 8. | | सी –3–4/87/3/1, दिनांक 10.06.1987 | छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में संशोधन। नियम 9 के संबंध में निर्देश। | 23–24 |
| 9. | | सी/3–10/93/एक, दिनांक 16.03.1993 | शासकीय सेवकों का स्थायीकरण। | 25–27 |
| 10. | | सी 3–1/95/3/एक, दिनांक 02.02.1995 | वरिष्ठता सूची का संधारण (11 कालम का प्रारूप) | 28–30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | नियम 6 में उप–नियम (4) अंतःस्थापित | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी 3–17–96–3–एक, दिनांक 25.10.1996 | महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराये गये उम्मीदवार के संबंध में। | 31 |
| 12. | | सी 3–9/97/3/एक, दिनांक 09.04.1997 | वरिष्ठता सूची का संधारण | 32–33 |
| 13. | नियम 12 में संशोधन | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ सी 3–84–92–3–एक, दिनांक 02.04.1998 | वरिष्ठता के संबंध में नया प्रतिस्थापन | 34–36 |
| 14. | नियम 6 में उप–नियम (5) एवं (6) अंतःस्थापित | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ सी 3–3–2000–3–एक, दिनांक 10.03.2000 द्वारा अंतःस्थापित। | न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह के संबंध में। | 37 |
| 15. | नियम 6 के उप–नियम (6) के पश्चात्, परन्तुक जोड़ा गया। | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2010/1/3, दिनांक 15.03.2011 द्वारा जोड़ा गया (परिपत्र 02.06.2011) | दो से अधिक जीवित संतान के संबंध में। (अधिसूचना दिनांक 13–07–2017 द्वारा उक्त नियम विलोपित) | 38–39 |
| 16. | नियम 12 के उप–नियम (2) के खण्ड (ग) में संशोधन | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2011/1/3, दिनांक 10.01.2012, जारी परिपत्र दि. 07.05.2012 | शब्दों का प्रतिस्थापन (मूल विभाग, जो भी पूर्वतर हो।) पूर्व की तिथि से प्रभावशील किया गया है। | 40–43 |
| 17. | | एफ 1–2/2012/1–3, दिनांक 18.04.2012 | शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के संबंध में। सभी पुराने परिपत्रों को भी संलग्न किया गया है। | 44–81 |
| 18. | | एफ 1–1/2012/1–3, दिनांक 21.05.2013 | बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में। | 82–83 |
| 19. | | एफ 1–2/2012/1–3, दिनांक 07.10.2013 | शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के संबंध में। | 84–85 |
| 20. | नियम 12 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (क) में परन्तुक अन्तःस्थापित | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2016/1–3, दिनांक 07.02.2017। (परिपत्र दिनांक 15. 02.2017) | परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये रा.प्र.से., रा.पु.से., रा.व.से. एवं रा. वि.से. के वरिष्ठता के संबंध में। | 86–88 |
| 21. | | एफ 1–1/2016/1–3, दिनांक 21.03.2017 | राज्य प्रशासनिक सेवा/राज्य पुलिस सेवा/राज्य वन सेवा/ राज्य वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में। | 89–90 |
| 22. | नियम 6 में, उप–नियम (6) का विलोपन | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 13.07.2017 (परिपत्र दिनांक 14. 07.2017) | दो से अधिक जीवित संतान होने पर निरर्हता का विलोपन। | 91–92 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23. | नियम 8 के उप–नियम (1) में संशोधन | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 28.07.2020. (परिपत्र दिनांक 29. 07.2020) | 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के संबंध में। | 93–95 |
| 24. | | एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 08.03.2021 | सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किये जाने के संबंध में | 96–110 |
| 25. | नियम 5 में, उप–नियम (ङ) जोड़ा गया | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 20.10.2022 (परिपत्र दिनांक 31. 10.2022) | अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्त व्यक्तियों के स्थानांतरण/ संलग्नीकरण के संबंध में | 111–113 |
| 26. | | एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 11.09.2023 | महिलाओं बालिकाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के आरोपियों को शासकीय सेवा म प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में। | 114–115 |

———00———

# भाग–1

# छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

## (01 अप्रैल, 2024 तक यथासंशोधित)

**नोटः**–राज्य के कार्यों के संबंध में लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भरती तथा सेवा शर्तों को विनियमन करने के लिए अविभाजित मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, दिनांक 13.07.1961 अधिसूचित की गई है, जिसका अनुकुलन छत्तीसगढ़ राज्य में ''विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002, दिनांक 30.10.2002'' के तहत किया गया है।

म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं उसमें दिनांक 02.04.1998 तक हुए संशोधनों का समावेश करते हुए अविभाजित मध्यप्रदश में शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल के माध्यम से एकजाई संकलन/किताब प्रकाशित की गई थी।

राज्य विभाजन पश्चात् छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं उसमें समय–समय हुए संशोधनों (दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में) का समावेश करते हुए, प्रथम बार एकजाई संकलन प्रकाशित किया जा रहा है। **इसमें किसी प्रकार की टंकण त्रुटि होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित मूल प्रावधान ही मान्य होंगे।**

———00———

(दिनांक 01.04.2024 तक संशोधित)

# छत्तीसगढ़ शासन
# सामान्य प्रशासन विभाग

**कमांक 1783–1585–एक (तीन)–60** – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यों के संबंध में लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भरती तथा सेवा शर्तों को विनियमन करने के लिये निम्नलिखित सामान्य नियम बनाते हैं, अर्थातः–

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**– (1) ये नियम **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961** कहलायेंगे।

(2) ये नियम इनके ''मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राजपत्र'' सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1783–1585–एक (तीन) 60, दिनांक 13 जुलाई, 1961 में अधिसूचित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं**–इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न होः–

(क) किसी सेवा या पद के संबध में **''नियुक्ति प्राधिकारी''** से तात्पर्य शासन या ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्त करने की शक्ति शासन द्वारा सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाए;

(ख) **'आयोग'** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से है;

(ग) **'शासन'** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है;

(घ) **'राज्यपाल'** से तात्पर्य छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से है;

(ङ) **'पद'** से तात्पर्य शासन के अधीन पूर्णकालिक नियोजन से है, किन्तु इसमें कोई नियोजन सम्मिलित नहीं है, जिसमें कर्मचारी को भुगतान **''आकस्मिकता निधि''** से किया जाता हो;

(च) विहित से तात्पर्य राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं के संबंध में भारत के संविधान के अधीन बनाये गये अन्य नियमों द्वारा या शासन द्वारा उस संबंध में जारी किये गये सामान्य या विशेष कार्यकारी अनुदेशों द्वारा विहित से है;

(छ) **''सेवा''** से तात्पर्य भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को छोड़, राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सेवा या पदों के समूहों से है, जो शासन द्वारा उस रूप में संगठित और पदांकित हो;

(ज) **'राज्य'** से तात्पर्य छत्तीसगढ राज्य से है।

**3. विस्तार तथा प्रयुक्ति**– ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जो राज्य में कोई पद धारण कर रहा हो या किसी सेवा का सदस्य हो किन्तु ये निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् :–

(क) ऐसे व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति और नियोजन की शर्तें, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के विशेष उपबंधों द्वारा विनियमित हों,

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति और सेवा की शर्तों के संबंध में विशेष उपबंध बनाये गए हों या इसके पश्चात् करार द्वारा बनाये जायें,

(ग) छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तिः

परन्तु उनसे किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो उनकी सेवाओं से या उनके पदों से संबंधित विशेष उपबंधों के अंतर्गत न आता हो, ये नियम उपर्युक्त खंड (क), (ख), (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों पर लागू होंगे।

**4. वर्गीकरण**– (1) राज्य की लोक सेवाएँ निम्नानुसार वर्गीकृत की जायेंगी :–

(एक) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ, प्रथम श्रेणी।

(दो) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ, द्वितीय श्रेणी।

(तीन) (क) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय);

(ख) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय);

(चार) छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएँ, चतुर्थ श्रेणी।

(2) किसी विद्यमान सेवा या पद का और किसी नई सेवा या पद का वर्गीकरण शासन द्वारा अवधारित किये गये अनुसार होगा :

परन्तु इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी किये गये आदेशों के अधीन किया गया किसी विद्यमान सेवा या पद का वर्गीकरण तब तक इन नियमों के अधीन जारी किया गया इसका वर्गीकरण समझा जायगा जब तक कि इस संबंध में जारी किये गये विशेष या सामान्य आदेशों द्वारा उसे उपान्तरित न कर दिया जाए :

परन्तु यह और कि किसी सेवा या पद के वर्गीकरण में प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के रूप में किया गया परिवर्तन प्रभावित व्यक्ति की पदावनति नहीं समझा जायेगा।

**5. नियुक्ति के लिये पात्रता**– किसी सेवा या पद पर नियुक्त होने के लिये उम्मीदवार को या तो–

(क) भारत का नागरिक होना चाहिये; या

(ख) सिक्किम की प्रजा होना चाहिये; या

(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो; या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये।

**टिप्पणी**–**1**. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण–पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए। तथापि पात्रता के प्रमाण–पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक नहीं होंगे।

(एक) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गये थे और तब से भारत में मामूली तौर से निवास कर रहे हैं।

(दो) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है।

(तीन) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी, 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में है।

**टिप्पणी**–2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

***(ङ) अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में विशेष उपबंध**– इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, नियम, आदेश, निर्देश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी राज्य शासन द्वारा अधिसूचित, अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर संभाग/सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा एवं गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिला के व्यापक विकास के लिए उक्त जिलों/संभाग में लोक सेवाओं में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति/संविलियन/ संलग्नीकरण, जिला स्तरीय पदों पर जिले के एवं संभाग स्तरीय पदों पर संभाग के बाहर नहीं किया जायेगा।

**6. अनर्हताएं**– (1) कोई भी पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगीः

परंतु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जायेः

परंतु आपवादिक मामलों में किसी उम्मीदवार को, उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्यधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(3) कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसी कि आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

****(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परंतु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

---

* सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1/3, दिनांक 20.10.2022 द्वारा जोड़ा गया है। समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31.10.2022 द्वारा राजपत्र की प्रति सभी विभागों को प्रेषित किया गया।

** सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र.सी 3–17–96–3–एक, दिनांक 25.10.1996 द्वारा जोड़ा गया है।

*(5) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

**7. भरती का तरीका**– किसी उम्मीदवार का किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये चयन यथाविहित निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या अधिक तरीकों से किया जायेगा, अर्थात्:–

(एक) सीधी भरती द्वारा,

(दो) पदोन्नति द्वारा,

(तीन) किसी अन्य सेवा या पद पर पहले से ही नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा :

परन्तु किसी व्यक्ति को किसी सेवा या पद पर नियुक्त करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा यदि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) विनियम, 1957 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के अधीन ऐसा परामर्श आवश्यक हो।

**8. परिवीक्षा**– **(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से, परिवीक्षा अवधि को ऐसी अवधि तक और बढ़ा सकेगा जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगी जो विहित की जाये।

(4) परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा की अवधि के दौरान उस स्थिति में समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह मत हो कि वह एक उपयुक्त शासकीय कर्मचारी सिद्ध नहीं हो सकेगा।

(5) जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या जिसे सेवा या पद के अनुपयुक्त पाया जाये, उसकी सेवाएं परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर समाप्त की जा सकेगी।

***(6) सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध हो, उसी सेवा या पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है अन्यथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और यह कि स्थाई पद उपलब्ध हो जाते ही उसे स्थायी कर दिया जायेगा।

---

* सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक सी. 3–3–2000–3–एक, दिनांक 10.03.2000 द्वारा नियम 6(5) एवं 6(6) अंतः स्थापित किया गया, बाद में सा.प्र.वि. की अधिसूचना दिनांक 13.07.2017 द्वारा नियम 6(6) का लोप किया गया।

** सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1/3, दिनांक 28.07.2020 द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित। जारी परिपत्र दिनांक 29.07.2020।

***सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र.सी 3–15/74/3/1, दिनांक 09.12.1974 द्वारा नियम 8(6) प्रतिस्थापित।

*(7) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थायी किया गया है और जिसके पक्ष में न ही उप नियम (6) के अधीन कोई प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो या जिससे उप–नियम (4) के अधीन सेवा से उन्मोचित न किया गया हो, परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उसकी सेवा की शर्तें ''छत्तीसगढ़ गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट (टेम्परेरी एण्ड क्वासी परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होगी।''

**9. स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिये परीक्षण**– (1) कोई व्यक्ति जो पहले से ही, स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाये, उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगाः

परन्तु शासन यह घोषित कर सकेगा कि ऐसी सेवा या पद पर पूर्विक स्थानापन्नता की कालावधि को उस सीमा तक, जो कि किसी विशिष्ट मामले में विनिर्दिष्ट की जाये परीक्षण की कालावधि के प्रति गिना जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर, नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती भी की जाती हैं तो स्थानापन्नता की कालावधि उस परिवीक्षा की कालावधि के बराबर होगी जो कि नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति के लिये विहित है।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, स्थानापन्नता की कालावधि को पर्याप्त कारणों से और एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा :

परन्तु यदि शासकीय सेवक उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर कि ऐसे पदों पर नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी नियुक्तियां की जाती हैं और नियमों में परिवीक्षा की कालावधि के विस्तार का उपबंध है तो वह कालावधि, जिस तक के लिये स्थानापन्नता की कालावधि और विस्तारित की जा सकेगी, उस कालावधि के बराबर होगी जिस तक के लिये नियमों के अधीन उक्त पद सीधी भरती किये गये व्यक्ति की परिवीक्षा कालावधि विस्तारित की जाने योग्य है।

(3) यदि स्थानापन्नता की कालावधि या बढ़ाई गई स्थानापन्नता की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर शासकीय सेवक उस सेवा या पद के लिये अनुपयुक्त पाया जाये, जिस पर कि उसे नियुक्त किया गया है तो उसे उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

**टिप्पणी** :– विहित विभागीय परीक्षायें, यदि कोई हों, ऐसी कालावधि के भीतर जो उस प्रयोजन के लिये अनुज्ञात की जाये, उत्तीर्ण न करने पर शासकीय कर्मचारी को, उस सेवा या पद हेतु जिस पर कि वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, उसकी उपयुक्तता प्रदर्शित करने में असफल समझा जायेगा।

---

* सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र.सी 3–15/74/3/1, दिनांक 09.12.1974 द्वारा नियम 8(7) अंतःस्थापित।

(4) यदि परीक्षण की कलावधि की समाप्ति पर, स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उस सेवा या पद के लिये जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाये तो यदि स्थाई पद उपलब्ध है तो उसे उस सेवा या पद पर जिसमें उसे नियुक्त किया गया है, स्थाई कर दिया जायेगा अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण–पत्र उसके पक्ष में जारी किया जायेगा कि स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थाई पद उपलब्ध नहीं है और जैसी ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उसे स्थायी कर दिया जायेगा।

(5) ऐसा कोई शासकीय कर्मचारी जिसे उपनियम (4) के अधीन न तो स्थायी किया गया है, न उसके पक्ष में प्रमाण–पत्र जारी किया गया है और न ही उसे उप नियम (3) के अधीन उसकी पूर्व की मूल सेवा का पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है, उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेश पर्यन्त सेवा में बना रहा समझा जायेगा और ऐसी कालावधि के दौरान वह किसी भी समय अपनी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

**10. पदक्रम सूची**– प्रत्येक सेवा के लिये एक पदक्रम सूची रखी जायेगी जिसमें उस सेवा में सम्मिलित पद धारण करने वाले शासकीय कर्मचारियों के नाम उनकी वरिष्ठता के क्रम से लिखे जायेंगे :

परन्तु यदि सेवा में पदों की दो या अधिक भिन्न–भिन्न शाखायें या समूह हो और साधारणतः एक शाखा से दूसरी शाखा में या एक पद समूह से दूसरे पद समूह में स्थानांतरण न किया जाता हो, तो ऐसी सेवा की शाखा या पद समूह के लिये एक पृथक पदक्रम सूची रखी जायेगी।

**11. राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में तैयार की गई पदक्रम सूचियां**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का प्रभाव यह नहीं होगा कि उसके कारण राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसरण में तैयार की गई शासकीय सेवक की सेवा से संबंधित पदक्रम सूची में उसकी वरिष्ठता परिवर्तित हो जायेगी।

*__12. वरिष्ठता__– किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जायेगी, अर्थात्:–

**(1) सीधी भरती किये गये तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठताः–**

(क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्ति किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी जिसमें नियुक्ति के लिये उनकी सिफारिश की गई है। पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे।

**परन्तु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भरती द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा एवं राज्य वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों को 88% तथा परिवीक्षा की कालावधि के दौरान संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों को 12%

---

* सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ सी–3–84–92–3–एक, दिनांक 02.04.1998 द्वारा प्रतिस्थापित।

** सा.प्र.वि. की अधिसूचना एफ 1–1/2016/1–3, दिनांक 07.02.2017 द्वारा नियम 12(1)(क) में, परंतुक अन्तःस्थापित। जारी परिपत्र दिनांक 15.02.2017।

(10% अंक प्रशिक्षण के दौरान आयोजित परीक्षा के लिये तथा 2% अंक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों के व्यक्तित्व, व्यवहार, उपस्थिति एवं समय की पाबंदी तथा उन्हें दिए गए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर) अधिमान्यता देते हुए, कुल अभिप्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(ख) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिये उनकी सिफारिश की जाती है।

(ग) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती है तो उसी समय पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति की पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था।

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जायेगी।

(ङ) सीधे भरती किये गये तथा पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(च) यदि किसी सीधी भरती की परिवीक्षा की कालवधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिये जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिये।

(छ) यदि सीधी भरती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लाक) सीधी भरती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे।

**2. <u>स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता</u> :–** (क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरणों के लिये उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(ख) जहां कोई व्यक्ति सीधी भरती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानांतरण के लिये उपबंधित भरती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानान्तरित व्यक्ति यथा स्थिति, सीधी भरती वाले व्यक्ति या

पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा तथा उसे यथा स्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भरती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जावेगा।

*(ग) व्यक्तियों के मामले में जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहां संगत भरती नियमों में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियत किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यतः उसे संविलियन की तारीख से की जावेगी, तथापि यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्यधीन ध्यान में रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको कि वह उसके मूल विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त किया गया था।

**स्पष्टीकरण** :– तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किए गए अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा।

**3. विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता** :– (क) ऐसे मामलों में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद या कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो तथा यह भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समय मान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी, जैसी कि उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होती।

(ख) ऐसे मामलों में जहां कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्त अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जा सकेगी।

(ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे।

(घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिए अलग–अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि–

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो तथा,

---

*सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2011/1–3, दिनांक 10.01.2012 द्वारा नियम 12(2)(ग) में शब्द ''वर्तमान विभाग'' के स्थान पर शब्द ''मूल विभाग'' एवं ''जो भी बाद हो'' के स्थान पर, शब्द ''जो भी पूर्वतर हो'' प्रतिस्थापित किया गया। जारी परिपत्र दिनांक 07.05.2012।

(दो) इन तारीखों में इन संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिए अनुमोदन न किया गया हो।

**4. तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता:–** (क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं के नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जाएगी।

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियमों के अनुसार, सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी।

**13. पदोन्नति–** शासन प्रत्येक ग्रेड या सेवा के संबंध में, जिसमें पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जा सकती हो, ऐसा ग्रेड या सेवा, जिससे ऐसी पदोन्नति की जा सकेगी तथा वह ऐसे प्रयोजन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विशेष रूप से यह अवधारित करेगा कि क्या ऐसी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर इस शर्त के अध्यधीन की जायेगी कि पदोन्नति के अयोग्य समझे गये व्यक्तियों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा या क्या पदोन्नति के लिये चयन ऐसे व्यक्तियों में से योग्यता के आधार पर किया जायेगा जो निम्न ग्रेड या सेवा में ऐसी न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर चुके हों, जो कि विहित की जाये।

**14. प्रत्यावर्तन तथा पुनर्नियुक्ति–** उच्च ग्रेड या सेवा में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे स्थायी शासकीय कर्मचारी उस निम्न ग्रेड या सेवा में जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया था, उस स्थिति में प्रत्यावर्तित किये जा सकते हैं जब उच्च ग्रेड या सेवा में कोई रिक्त स्थान न हो और ऐसा प्रत्यावर्तन पदावनति नहीं समझी जाएगी:

परन्तु वह आदेश जिसमें ऐसा प्रत्यावर्तन किया जाएगा, उस आदेश का उलटा होगा जिससे स्थानापन्न पदोन्नति की गई हो, किन्तु केवल उस स्थिति को छोड़ जिसमें प्रशासनिक सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किसी स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को इस परन्तुक के अनुसार नहीं किन्तु अन्यथा प्रत्यावर्तित करना आवश्यक हो जाये:

परन्तु यह और कि कोई स्थान रिक्त होने पर उच्च ग्रेड या सेवा में पुनर्नियुक्ति सामान्यतः प्रत्यावर्तित शासकीय कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठताक्रम के अनुसार की जाएगी।

**15. रक्षोपाय–** इन नियमों या इनके अधीन जारी किये गये किसी भी आदेश में दी गई किसी बात के प्रभावस्वरूप कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अधिकार या सुविधाधिकार से वंचित नहीं होगा जिसका वह–

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन, अथवा

(ख) इन नियमों के प्रारंभ होने के समय ऐसे व्यक्ति और शासन के बीच विद्यमान किसी संविदा या करार के निर्बन्धनों द्वारा हकदार हो।

**16. छूट–** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्य के कार्यों से संबंधित सेवा में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के मामले में राज्यपाल द्वारा ऐसी रीति से, जो उसे न्यायपूर्ण और सामयिक प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु जब किसी व्यक्ति के मामले में किसी नियम को शिथिल किया जाये, तो मामले पर ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जाएगी जो उस व्यक्ति के लिये उस नियम में उपबंधित रीति से कम हितकर हो।

**17. निवर्चन**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे, तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

**18. निरसन तथा व्यावृत्ति**– इन नियमों के तत्स्थानी सभी नियम, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पहले प्रवृत्त हो, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

**हस्ता./–**
**(एच.एस. कामथ)**
मुख्य सचिव.
छत्तीसगढ़ शासन

(मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 1974 के भाग 4(ग) में प्रकाशित)

भाग–2

# छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में समय–समय पर किये गये संशोधन/अधिसूचना की प्रति तथा जारी निर्देश/परिपत्रों का संकलन

(01 अप्रैल, 2024 की स्थिति में)

———

**छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के तहत जारी निर्देश/परिपत्रों की तिथिवार अनुक्रमणिका सूची**

**(दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में)**

| स. क्र. | नियम एवं उसमें किये गये संशोधन | जारी अधिसूचना/परिपत्र/निर्देश क्रमांक एवं दिनांक | रिमार्क | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नियम 8 में, उप नियम (2) के टिप्पणी का लोप एवं उप नियम (6) स्थापित तथा उप नियम (7) अंतःस्थापित | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 3–15–74–3–एक, दिनांक 09.12.1974 | सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर स्थायीकरण के संबंध में | 11 |
| 2. | | एफ 3–15/74/3/1, दिनांक 09.12.1974 | शासकीय सेवकों को अन्य पदों में सीधी भरती से नियुक्त करने की कार्य प्रणाली तथा वेतन निर्धारण | 12–13 |
| 3. | | एफ 3–6/77/3/1, दिनांक 30.05.1977 | परिवीक्षा काल पर नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के संबंध में । वरिष्ठता के संबंध में भी उल्लेख है। | 14–16 |
| 4. | | क्र. 288/636/1(3) 79, दिनांक 06.06.1979 | छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण | 17–18 |
| 5. | | क्र. 147/380–1(3) 80, दिनांक 31.03.1980 | मूलभूत नियम 22(सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(6) के अंतर्गत परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति के पक्ष में प्रमाण–पत्र के आधार पर स्थायी मानना। | 19–20 |
| 6. | नियम 9 में संशोधन | अधिसूचना क्र. सी/ 3–4/87/3/1, दिनांक 07.05.1987 | स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिए परीक्षण के संबंध में | 21–22 |
| 7. | | सी –3–4/87/3/1, दिनांक 10.06.1987 | छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में संशोधन। नियम 9 के संबंध में निर्देश। | 23–24 |
| 8. | | सी/3–10/93/एक, दिनांक 16.03.1993 | शासकीय सेवकों का स्थायीकरण। | 25–27 |
| 9. | | सी 3–1/95/3/एक, दिनांक 02.02.1995 | वरिष्ठता सूची का संधारण (11 कालम का प्रारूप) | 28–30 |
| 10. | नियम 6 में उप–नियम (4) अंतःस्थापित | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. सी 3–17–96 –3–एक, दिनांक 25.10.1996 | महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराये गये उम्मीदवार के संबंध में। | 31 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | | सी 3–9/97/3/एक, दिनांक 09.04.1997 | वरिष्ठता सूची का संधारण | 32–33 |
| 12. | नियम 12 में संशोधन | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ सी 3–84–92–3–एक, दिनांक 02.04.1998 | वरिष्ठता के संबंध में नया प्रतिस्थापन | 34–36 |
| 13. | नियम 6 में उप–नियम (5) एवं (6) अंतःस्थापित | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ सी 3–3–2000–3–एक, दिनांक 10.03.2000 द्वारा अंतःस्थापित। | न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह के संबंध में। | 37 |
| 14. | नियम 6 के उप–नियम (6) के पश्चात्, परन्तुक जोड़ा गया। | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2010/1/3, दिनांक 15.03.2011 द्वारा जोड़ा गया (परिपत्र 02.06. 2011) | दो से अधिक जीवित संतान के संबंध में। (अधिसूचना दिनांक 13–07–2017 द्वारा उक्त नियम विलोपित) | 38–39 |
| 15. | नियम 12 के उप–नियम (2) के खण्ड (ग) में संशोधन | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2011/1/3, दिनांक 10.01.2012, जारी परिपत्र दि. 07.05.2012 | शब्दों का प्रतिस्थापन (मूल विभाग, जो भी पूर्वतर हो।) पूर्व की तिथि से प्रभावशील किया गया है। | 40–43 |
| 16. | | एफ 1–2/2012/1–3, दिनांक 18.04. 2012 | शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के संबंध में।<br>सभी पुराने परिपत्रों को भी संलग्न किया गया है। | 44–81 |
| 17. | | एफ 1–1/2012/1–3, दिनांक 21.05. 2013 | बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में। | 82–83 |
| 18. | | एफ 1–2/2012/1–3, दिनांक 07.10.13 | शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के संबंध में। | 84–85 |
| 19. | नियम 12 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (क) में परन्तुक अन्तःस्थापित | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2016/1–3, दिनांक 07.02.2017। (परिपत्र दिनांक 15.02.2017) | परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये रा.प्र. से., रा.पु.से., रा.व.से. एवं रा.वि.से. के वरिष्ठता के संबंध में। | 86–88 |
| 20. | | एफ 1–1/2016/1–3, दिनांक 21.03. 2017 | राज्य प्रशासनिक सेवा/राज्य पुलिस सेवा/राज्य वन सेवा/ राज्य वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में। | 89–90 |
| 21. | नियम 6 में, उप–नियम (6) का विलोपन | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 13.07.2017 (परिपत्र दिनांक 14.07.2017) | दो से अधिक जीवित संतान होने पर निरर्हता का विलोपन। | 91–92 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22. | नियम 8 के उप–नियम (1) में संशोधन | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 28.07.2020. (परिपत्र दिनांक 29.07.2020) | 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के संबंध में। | 93–95 |
| 23. | | एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 08.03.2021 | सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किये जाने के संबंध में | 96–110 |
| 24. | नियम 5 में, उप–नियम (ङ) जोड़ा गया | सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 20.10.2022 (परिपत्र दिनांक 31.10.2022) | अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्त व्यक्तियों के स्थानांतरण/ संलग्नीकरण के संबंध में | 111–113 |
| 25. | | एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 11.09.2023 | महिलाओं बालिकाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के आरोपियों को शासकीय सेवा में प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में। | 114–115 |

**––00––**

भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

## सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

एफ. क्र. 3-15-74-3-एक:—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (जनरल कण्डिशन्स ऑफ सर्विस) रूल्स, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में नियम 8 में,—

(1) उपनियम (2) के नीचे दिये गये टिप्पण का लोप किया जाय,

(2) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(6) सफलता पूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध हो, उसी सेवा या पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है अन्यथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और यह कि स्थायी पद उपलब्ध हो जाते ही उसे स्थायी कर दिया जायेगा.".

(3) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(7) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थायी किया गया है और जिसके पक्ष में न ही उपनियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो या जिसे उपनियम (4) के अधीन सेवा से उन्मोचित न किया गया हो, परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से अस्थायी शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उसकी सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंटस् (टेम्पररी एण्ड क्वासी परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होंगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आनन्द मोहन**, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

एफ. क्र. 3-15-74-3-एक.—भारत के संविधान से अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 3-15-74-3-एक, दिनांक 9 दिसम्बर 1974 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आनन्द मोहन**, उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन

## सामान्य प्रशासन विभाग

### ज्ञापन

एफ क्रमांक 3-15/74/3/1 भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

**विषय:**—शासकीय सेवकों को अन्य पदों में सीधी भरती से नियुक्त करने की कार्य प्रणाली तथा वेतन निर्धारण.

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जब कोई शासकीय सेवक चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, किसी अन्य सेवा या पद में सीधी भरती से नियुक्त किया जाता है तो उसे परिवीक्षा पर ही नियुक्त किया जाए. यह आवश्यक नहीं है कि जब स्थायी पद रिक्त हो तभी सीधी भरती से नियुक्त व्यक्तियों को परिवीक्षा पर रखा जाए. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(6) को अब इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को, यदि परिवीक्षावधि समाप्त होने पर स्थायी पद उपलब्ध न हो तो, भविष्य में जब कभी भी स्थायी पद उपलब्ध होगा, तब स्थायी किया जाएगा, तथा इस प्रकार का प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कर दिया जावेगा.

2. परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाने पर स्थायी शासकीय सेवक का वेतन निम्नलिखित अनुसार संरक्षित रहेगा:—

(1) स्थायी शासकीय सेवक का स्थायी पद पर मिलने वाला वेतन यदि नये पद के, निम्नतम वेतन से अधिक रहता है तो उसके द्वारा धारित स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा.

(2) उनकी वार्षिक वेतन वृद्धियां मूलभूत नियम 22 (सी) के उपबंधों के अनुसार शासित होगी, अर्थात् उनके स्थायी पद के वेतन के साथ वेतन वृद्धियां भी संरक्षित रहेगी.

(3) अस्थायी शासकीय सेवक जब किसी अन्य सेवा या पद में सीधी भरती नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति उसी प्रकार परिवीक्षा पर ही की जाये जिस प्रकार बाहर के व्यक्तियों को सीधी भरती से नियुक्तियां की जाती हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
**( आनन्द मोहन )**
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ क्रमांक 3-15/74/3/1 भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

प्रतिलिपि:—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

---

2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

---

3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षक)/लेखाधिकारी
सचिवालय, भोपाल.

---

4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/समस्त उपसचिव
के निजी सचिव/निजी सहायक.

मध्यप्रदेश शासन

## सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 3-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 30 मई, 1977, 9 ज्येष्ठ, 1899

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश.

**विषय:**—परिवीक्षा काल पर नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में.

**संदर्भ:**—इस विभाग का दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 का ज्ञापन एफ. क्रमांक 3/15/74/3/1.

उपर्युक्त ज्ञापन के द्वारा यह सूचित किया गया था कि सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्तियां परिवीक्षा पर की जाएं एवं उनका वेतननिर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य प्रावधानों के अनुसार किया जाय. इस आदेश के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कई विभागों में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है, अत: परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिये जारी किया जाता है:—

(1) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षा काल की अवधि पूरी होने पर स्थाई करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए. परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि से, यदि स्थाई पद उपलब्ध हो, तो स्थाई करने के आदेश निकालना चाहिए. यदि उनको स्थाई करने के लिए स्थाई पद उपलब्ध न हों, तो उनके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण ही परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके. भविष्य में जैसे ही उनके लिए स्थाई पद उपलब्ध होंगे, वैसे ही उन्हें स्थाई कर दिया जाएगा. इस प्रकार प्रमाण-पत्र देने का उद्देश्य यह है कि जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है. उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लेने पर भी स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके, तो उसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान न हो. अर्थात् प्रमाण-पत्र के आधार पर ही उन्हें <u>परिवीक्षाकाल में रुकी हुई वार्षिक वेतनवृद्धियां, बकाया राशि के साथ दे दी जायें तथा भविष्य में भी उन्हें नियमित रूप से वार्षिक वेतनवृद्धियां मिलती रहें.</u>

(2) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर स्थाई पद के अभाव में उपयुक्त नियम के

अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाता है, उन्हें भविष्य में स्थाई करने के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में पुन: विचार करने की आवश्यकता नहीं है. जब भी स्थाई पद उपलब्ध होते हैं, तब ऐसे सभी व्यक्तियों को, उनकी आपसी वरिष्ठताक्रम के अनुसार स्थाई करने के औपचारिक आदेश निकाल देना चाहिए. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि परिवीक्षा पर नियुक्त करने के आदेश जारी होने के पहले यदि उसी पद पर अस्थाई रूप से नियुक्तियां की गई हों, तो स्थाईकरण करते समय पूर्व में अस्थाई रूप से नियुक्त शासकीय सेवकों एवं परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्तियों को, जिन्हें स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाया गया हो, उनकी आपसी वरिष्ठताक्रम से, जो नियमानुसार निर्धारित की गई है, स्थाई करना चाहिए. जो व्यक्ति स्थाईकरण के लिए प्रथम अवसर पर उपयुक्त नहीं पाए जाते, उन्हें बाद में उपयुक्त पाए जाने पर स्थाई किया जाता है, तो वे उनसे पहले स्थाई किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ माने जायेंगे.

(3) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, नियुक्ति अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार परिवीक्षाकाल में एक वर्ष की वृद्धि कर सकता है. यदि किसी व्यक्ति को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर या परिवीक्षा काल में वृद्धि करने के पश्चात् भी स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता, तो उसकी सेवाएं उक्त नियम के नियम 8(5) के अनुसार परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख से समाप्त करनी चाहिए.

(4) यदि किसी कारणवश उपर्युक्त पैरा (3) में उल्लिखित व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करने के आदेश नहीं निकाले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (7) का प्रावधान लागू होगा. यह उपनियम अपवाद स्वरूप ही किसी विशेष प्रकरण में लागू किया जाना चाहिए न कि सभी ऐसे व्यक्तियों के मामलों में, जिन्होंने परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया हो. इस श्रेणी के शासकीय सेवक उस पद पर परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख से अस्थाई रूप से नया नियुक्त शासकीय सेवक माने जायेंगे तथा उन्हें वेतन निर्धारण एवं वरिष्ठता के लिए परिवीक्षा काल में व्यतीत की गई पूर्व सेवा का लाभ नहीं मिलेगा.

2. सभी विभागों से निवेदन है कि आपके विभाग के अधीन सेवाओं में परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के मामले उपयुक्त अनुदेश के अनुसार निपटायें जायें, जहां तक संभव हो, परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थाई करने के लिए मामला परिवीक्षाकाल समाप्त होने के दो माह पूर्व ही विचार में लिया जाए, ताकि उनके सम्बन्ध में निर्णय परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि तक लिया जा सके.

3. जहां तक परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थाई पद के अभाव में उपर्युक्त नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतनवृद्धियां देने के निर्णय का सम्बन्ध है, यह आदेश वित्त विभाग से परामर्श लेकर निकाला गया है.

हस्ता./-
**( जी. बैंकन्ना )**
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 3-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 30 मई 1977, 9 ज्येष्ठ, 1899

प्रतिलिपिः—

1. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
सचिव, राज्य सर्तकता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

3. महालेखापाल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन

## सामान्य प्रशासन विभाग

डी. क्रमांक 288/636/1(3) 79 भोपाल, दिनांक 6 जून, 1979

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

**विषय:**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण.

इस विभाग को दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना एफ. क्रमांक 3-15/74/3/1, के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन करके एक नया उपनियम (7) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से न तो स्थाई किया गया और न उसके पक्ष में उपनियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया या उपनियम (4) के अधीन उसे सेवा से उन्मोचित नहीं किया गया, तो वह व्यक्ति परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा तथा उसकी सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस् (टेम्पररी एण्ड क्वासी परमानेंट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होगी.

2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ने शासन को सूचित किया है कि उनके पास कुछ व्यक्तियों के वेतन निर्धारण के मामलों में यह पाया गया कि परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति को, परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर उसे उपर्युक्त उप नियम (7) के अंतर्गत अस्थाई शासकीय सेवक मानकर उसे उसको परिवीक्षाकाल में नियुक्ति की तारीख से वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ देकर वेतन निश्चित किया गया है. महालेखाकार ने इस प्रकार के मामले में शासन से यह स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया कि:—

(1) क्या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना के द्वारा किया गया संशोधन उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दिनांक 9 दिसम्बर 1974 के पूर्व अपनी परिवीक्षा पूर्ण कर चुके थे किन्तु जिन्हें स्थाई नहीं किया है और न ही सेवा से पृथक् करने के आदेश प्रसारित किये है और न परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र किया गया है.

(2) जो शासकीय सेवक उपर्युक्त नियम के उपनियम (7) के अंतर्गत अस्थाई शासकीय सेवक माने गए है उनके संबंध में यह है कि उनकी परिवीक्षाकाल की अवधि वेतनवृद्धि के लिये गिनी जाएगी तथा वह परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख अपने वेतन के न्यूनतम वेतन से अपनी अस्थाई सेवा आरंभ करेंगे.

3. महालेखाकार द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के संबंध में उन्हें यह सूचित किया गया है कि:—

(1) इस विभाग की दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना होने के पूर्व जिन व्यक्तियों का परिवीक्षाकाल समाप्त हो गया उनके मामले पर उपर्युक्त संशोधन लागू नहीं होगा. ऐसे उस समय विद्यमान नियमों के अनुसार ही निपटाये जाएंगे. उपर्युक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा किया गया संशोधन उन सभी परिवीक्षाधीन व्यक्तियों पर लागू होगा जो उक्त संशोधन के जारी होने की तारीख को निर्धारित किया गया परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं किये या जो उक्त संशोधन जारी होने के बाद परिवीक्षा पर नियुक्त किये गए है.

(2) जिन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की उक्त नियम के उप नियम ( ) के अंतर्गत परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई रूप से नियुक्त माना जाएगा उनको परिवीक्षाकाल में की गई सेवाओं का लाभ वेतनवद्धि की पात्रता के लिए नहीं मिलेगा. परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से ही उसकी अस्थाई रूप से नियुक्ति होगी और उसके बाद एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही पहली वेतन वृद्धि की पात्रता मिलेगी.

4. सभी विभागों से निवेदन है कि वे शासन के उपर्युक्त स्पष्टीकरण अनुसार परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के मामलों का निराकरण करें.

हस्ता./-
**( एल. एन. मीणा )**
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

डी. क्रमांक 289/636/1(3)79 भोपाल, दिनांक 6 जून, 1979

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, राज्य सर्तकता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण
   के निजी सचिव/निजी सहायक.
4. प्रतिलिपि महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को उनके द्वारा विशेष सचिव वित्त विभाग को संबोधित अर्ध-शासकीय पत्र क्रमांक टी. एम. 1/तीन/1(3), दिनांक 30-3-1979 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन

**सामान्य प्रशासन विभाग**

क्रमांक 147/380-1(3)80 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1980

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

**विषयः**—मूलभूत नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 (6) के अंतर्गत परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति के पक्ष में प्रमाण-पत्र के आधार पर स्थायी मानना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवक द्वारा सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो, तो स्थायी किया जाएगा अन्यथा उस व्यक्ति के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा कि उसे स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थायी नहीं किया जा सकता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध होते ही उसे स्थायी कर दिया जाएगा. शासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि जिस शासकीय सेवक के पक्ष में उपर्युक्त प्रकार प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, वह यदि किसी अन्य पद पर सीधी भरती के द्वारा नियुक्त किया जाए तो उसका मूलभूत नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण करने के लिये क्या उसे स्थाई माना जायगा या नहीं?

2. इस संबंध में शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी ऐसे शासकीय सेवक को, जिसके पक्ष में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, के नियम 8 के उप नियम (6) के अनुसार इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है कि उसे स्थायी पद उपलब्ध होते ही स्थायी कर दिया जाएगा तो किसी अन्य पद पर सीधी भरती के द्वारा नियुक्त किये जाने पर उसे मूल नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए स्थायी शासकीय सेवक माना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
**(एल. एन. मीणा)**
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 148/380-1(3)80

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1980

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

हस्ता./-
(कें. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

## सामान्य प्रशासन विभाग

### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 मई, 1987

एफ. क्रमांक सी/3-4/87/3/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"9. स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिए परीक्षण":—

(1) कोई व्यक्ति, जो पहले से ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाय, उन सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए सामान्यत: दो वर्ष की कालावधि के लिए स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु शासन यह घोषित कर सेकगा कि ऐसी सेवा या पद पर पूर्विक स्थानापन्नता की कालावधि को उस सीमा तक, जो कि किसी विशिष्ठ मामले में विनिर्दिष्ट की जाय, परीक्षण की कालावधि के प्रति गिना जा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर, नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती भी की जाती है, तो स्थानापन्नता की कालावधि उस परिवीक्षा की कालावधि के बराबर होगी जो कि नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के लिए विहित है.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, स्थानापन्नता की कालावधि को पर्याप्त कारणों से और एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा:

परन्तु यदि शासकीय सेवक उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर कि ऐसे पदों पर नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी नियुक्तियां की जाती है और नियमों में परिवीक्षा की कालावधि के विस्तार का उपबंध है तो वह कालावधि, जिस तक के लिये स्थानापन्नता की कालावधि और विस्तारित की जा सकेगी, उस कालावधि के बराबर होगी जिस तक के लिये नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती किये गये व्यक्ति की परिवीक्षा कालावधि विस्तारित की जाने योग्य है.

(3) यदि स्थानापन्नता की कालावधि या बढ़ाई गई स्थानापन्नता की कालवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर शासकीय सेवक उस सेवा या पद के लिये अनुपयुक्त पाया जाए, जिस पर कि उसे नियुक्त किया गया हैं तो

उसे उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा.

**टिप्पणी.**—विहित विभागीय परीक्षाएं, यदि कोई हों, ऐसी कालावधि के भीतर जो उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञात की जाय, उत्तीर्ण न करने पर शासकीय कर्मचारी को, उस सेवा या पद हेतु जिस पर कि वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, उसकी उपयुक्तता प्रदर्शित करने में असफल समझा जाएगा.

(4) यदि परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर, स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उस सेवा या पद के लिए जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाय तो यदि स्थायी पद उपलब्ध है तो उसे उस सेवा या पद पर जिसमें उसे नियुक्त किया गया है स्थायी कर दिया जायेगा अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र उसके पक्ष में जारी किया जायेगा कि स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है उसे स्थायी कर दिया जायेगा.

(5) ऐसा कोई शासकीय कर्मचारी जिसे उपनियम (4) के अधीन न तो स्थायी किया गया है, न उसके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और न ही उसे उपनियम (3) के अधीन उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है, उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेश पर्यन्त सेवा में बना रहा समझा जाएगा और ऐसी कालावधि के दौरान वह किसी भी समय अपनी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
**( के. एन. श्रीवास्तव )**
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन
**सामान्य प्रशासन विभाग**

एफ. क्र. सी-3-4/87/3/1 भोपाल, दिनांक 10 जून, 1987

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

**विषय.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 9 में किसी पद पर पदोन्नति या स्थानान्तर से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को परीक्षण पर रखने तथा परीक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर स्थायी करने की व्यवस्था थी, परन्तु उक्त नियम में परीक्षण की अवधि कितनी होनी चाहिए, स्थानापन्नता की अवधि को आवश्यक होने पर कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा और परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्तियों को स्थायी करने के लिए स्थायी पद उपलब्ध न होने की स्थिति में कोई प्रमाण-पत्र देने का प्रावधान नहीं था. इस प्रकार का प्रावधान न होने से नियमों के निर्वचन में एकरूपता नहीं थी एवं कई प्रशासनिक कठिनाईयां आती थीं. अतः उक्त नियमों में उपरोक्त व्यवस्था का प्रावधान करने हेतु दिनांक 7 मई 1987 के असाधारण राजपत्र द्वारा आवश्यक संशोधन किए गए हैं. उपर्युक्तानुसार किए गए संशोधन के फलस्वरूप अब पदोन्नति अथवा स्थानांतर से नियुक्त किए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नानुसार कार्यवाही आवश्यक होगी:—

(i) इस प्रकार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक को सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षण पर नियुक्त किया जाएगा. यदि सम्बन्धित पद को प्रौढ़ सेवा भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी भरा जाता है तो स्थानापन्नता (परीक्षण) की अवधि उस परिवीक्षा की अवधि के बराबर होगी जो नियमों के अनुसार सीधी भरती से नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित है;

(ii) स्थानापन्नता (परीक्षण) की कालावधि आवश्यक होने पर पर्याप्त कारणों से अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी;

(iii) परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर एवं संबंधित शासकीय सेवक के उपयुक्त पाए जाने पर उसे स्थायी किया जाएगा किन्तु यदि स्थायी पद उपलब्ध न हों तो संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा कि "स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जाएगा."

2. उपर्युक्तानुसार दिनांक 7 मई, 1987 को राजपत्र में अधिसूचित, संशोधन की अधिसूचना संलग्न करते हुए निवेदन है कि इसमें उल्लिखित प्रावधानों को ठीक से पढ़कर समझ लिया जाये और इनके अनुसार कार्यवाही का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

हस्ता./-
**( के. एन. श्रीवास्तव )**
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मृ. एफ. क्र. सी-3-4-8-3-1 भोपाल, दिनांक 10 जून, 1987.

प्रतिलिपि:—

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल, म. प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. मुख्यमंत्री जी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/
   निज सहायक की ओर सूचनार्थ.
4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव (समस्त) सा. प्र. वि.
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय, भोपाल.

हस्ता./-
**( आर. सी. श्रीवास्तव )**
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

## मध्यप्रदेश शासन
## सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी/3-10/93/एक

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 1993

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों का स्थायीकरण.

संदर्भ.—हाशिए पर बताए अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन.

(1) 226/सी. आर. 180/1 पी. सी. 17-9-1962.

(2) 139/7-1/ओ. एण्ड एम. 29-6-1966.

(3) 8-25/86/का. प्र. सु./1 12-9-1986.

(4) 119/प्रस/का. प्र. सु./89 31-3-1989.

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि शासकीय सेवकों के स्थायीकरण की कार्यवाही, विभागों द्वारा नियमानुसार, समय पर नहीं की जा रही है. विभागों में स्थायीकरण की कार्यवाही में विलम्ब एवं शिथिलता के कारण कई शासकीय सेवक अस्थायी एवं स्थानापन्नता की हैसियत में ही, लम्बी अवधि तक सेवा करने के उपरांत, सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं. यह स्थिति उचित नहीं है.

2. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, स्थायीकरण के संबंध में, हाशिए में बताए परिपत्र जारी किए गए हैं. कई बार स्थायीकरण नहीं करने का एक कारण, स्थायी पदों की अनुपलब्धता बताया जाता है. परिपत्र दिनांक 17-9-62 में कहा गया है कि चतुर्थ वर्ग के अस्थायी पदों में से 50% तथा तृतीय वर्ग एवं राजपत्रित श्रेणी के अस्थायी पदों में से 80% पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित किया जाए. परिपत्र दिनांक 12-9-86 द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में नवीन पदों के निर्माण का प्रस्ताव, म. प्र. वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम 73 से 78 तक में वर्णित निर्देशों के अनुसार, उसमें उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जाकर, वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाए एवं नवीन पदों का निर्माण स्थायी रूप से ही किया जाए. इस परिपत्र द्वारा यह भी निर्देश जारी किए गए थे कि पिछले तीन वर्षों से, जिन पदों के बारे में लगातार निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त की जाती रही है, भविष्य में भी निरंतर रखने की संभावना है, अतः इस प्रकार के पदों की, स्थायी रूप से निर्मित किए जाने पर विचार कर, अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाए.

(5) 6901/3904/ एक (1) 12-10-72.

3. कतिपय विभागों में, संभवतया अधिकारियों को स्थायीकरण की सही प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण, सभी प्रकार के स्थायीकरण के प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति के लिये भेज दिये जाते हैं. 12-10-72 के परिपत्र के अनुसार जो नियुक्तियां सीधी भरती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से परिवीक्षा पर की गई हों, उन पर कार्यरत शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के लिये लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्कता नहीं है. इन मामलों को छोड़कर, शेष सभी मामलों में लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही स्थायीकरण आवश्यक है.

(6) अधिसूचना क्र. एवं दिनांक 3-15-74-3-एक 9-12-1974 तथा ज्ञापन क्र. एवं दिनांक.

(7) 3—6/77/ 3/1 30-5-1977

(8) 288/636/1/ (3)/79 6-6-1979 अधि.क्र. एवं दिनांक.

4. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के स्थायीकरण संबंधी प्रावधान:—

(अ) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षाकाल की अवधि पूरी होने पर स्थायी करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिये. परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को स्थायीकरण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि से, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो स्थायी करने के आदेश निकालना चाहिये. यदि उनको स्थायी करने के लिये स्थायी पद उपलब्ध न हों, तो उनके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसके परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और उन्हें स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ही परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थायी करने के आदेश नहीं निकाले जा सके. भविष्य में जैसे ही उनके लिये स्थायी पद उपलब्ध होंगे, वैसे ही उन्हें स्थायी कर दिया जायेगा.

(9) सी/3-4/87/3/1, 7-5-1987 तथा सा. क्र. एवं दिनांक.

(10) सी/3-4/87/3/1 10-6-1987.

(ब) कोई व्यक्ति, जो पहले ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाए, उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिये सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षण पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा. परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर एवं संबंधित शासकीय सेवक के उपयुक्त पाए जाने पर उसे स्थायी किया जायेगा, किन्तु यदि स्थायी पद उपलब्ध न हो तो संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि "स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जायेगा."

5. **स्थायीकरण के लिये समिति** :— पदोन्नति से नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन करने का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 2501/2190/86/ (एक) 1, दिनांक 24-9-86 में किया गया है. उक्त परिपत्र के अनुसार स्थायीकरण के प्रकरणों में वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये जो लोक सेवा आयोग एवं विभागों द्वारा पदोन्नति के प्रकरणों में अपनाई जाती है. इन शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के प्रकरणों के निपटारे के लिये एक समिति का गठन किया जाए जिसमें संबंधित विभाग के एवं लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि हों. स्थायीकरण समिति की बैठक में लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि के भाग लेने के फलस्वरूप, उनकी सिफारिश के संबंध में पुनः लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा.

6. **स्थायीकरण के लिये गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन** :— जहां तक स्थायीकरण के लिये गोपनीय प्रतिवेदनों के देखने का प्रश्न है, इस संबंध में समुचित निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-4/83/3/1, दिनांक 2-7-1983 में दिये गए हैं, जिसके अनुसार स्थायीकरण करने की निर्धारित तिथि से, दो वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदनों के परीक्षणोपरांत उपयुक्तता निर्धारित की जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए.

7. (अ) अतः सामान्य प्रशासन विभाग के उपयुक्त परिपत्रों के अनुसार, अस्थायी/स्थानापन्न शासकीय सेवक, जिन्हें अब तक नियमानुसार स्थायीकरण की पात्रता प्राप्त हो चुकी है, को स्थायी करने की कार्यवाही दिनांक 30-4-93 तक निश्चित रूप से सम्पन्न हो जाए.

(ब) इस बारे में एक प्रमाण-पत्र इस विभाग को 10 मई, 1993 तक भिजवाया जाए, कि दिनांक 1-5-93 की स्थिति में, उपरोक्तानुसार स्थायी पदों का निर्माण कराते हुए, पात्रता प्राप्त शासकीय सेवकों का स्थायीकरण कर दिया गया है.

हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी/3-10/93/3/एक

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 1993

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र., इन्दौर
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र., भोपाल.

---

2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
   राज्यपाल के सलाहकारों के निज सचिव.
   सचिव विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल.

---

3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र., भोपाल.
4. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर
5. महाधिवक्ता, म. प्र., जबलपुर
6. प्रमुख सचिव,/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
7. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी म.प्र. सचिवालय, भोपाल.
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक सी/3-1/95/3/एक, भोपाल, दिनांक 2 फरवरी, 1995.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त कमिश्नर,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—वरिष्ठता सूची का संधारण.

संदर्भ.—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 133/1600/1/3, दि. 18-1-64.

शासकीय सेवकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा जो पदक्रम सूची का प्रपत्र निर्धारित किया गया है, उसके संबंध में पुन: विचार कर उसे युक्तियुक्त बनाया गया है, और पदक्रम सूची के प्रथम पृष्ठ पर संवर्ग के बारे में आवश्यक जानकारियों के लिये पत्रक निर्धारित किया गया है. पदक्रम सूची में अब 11 कालम निर्धारित किये गये हैं जिनमें वांछित जानकारी दी जाना होगी.

2. पदक्रम सूची का पुनरीक्षित प्रपत्र संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि पुनरीक्षित प्रारूप में ही पदक्रम सूचियां प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल की स्थिति में प्रकाशित की जाने की व्यवस्था की जाए तथा प्रकाशित पदक्रम सूची की एक प्रति आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन विभाग की नियम शाखा को भेजी जाए.

संलग्न- दो

हस्ता./-
(एस. सी. पण्ड्या)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र. सी/3-1/95/3/एक, भोपाल, दिनांक 2 फरवरी, 1995.

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल.
   सचिव, विधान सभा, सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
4. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर.
5. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ग्वालियर/इंदौर.
6. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
7. अपर सचिव,स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय,भोपाल.
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. मुख्यमंत्री जी/उप मुख्यमंत्रीगण/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
10. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा 15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

..... विभाग

(सेवा संवर्ग का नाम)

..... की पदक्रम सूची

(दिनांक 1 अप्रैल ..... की स्थिति में)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) स्वीकृत पदों की संख्या | (1) स्थाई | ..... | | |
| | (2) अस्थाई | ..... | | |
| | योग .. | | | |
| (2) पद का वेतनमान | ..... | | | |
| (3) पदों का विवरण | (क) ड्यूटी पद | | (1) जिलों के लिये | ..... |
| | | | (2) अन्य विभागों के लिए | ..... |
| | (ख) प्रतिनियुक्ति रक्षित | | ..... | |
| | (ग) अवकाश रक्षित | | ..... | |
| | (घ) प्रशिक्षण रक्षित | | ..... | |
| | | | योग .. | |
| (4) संवर्ग के लिए स्वीकृत वेतनमान/ वेतनमानों की स्थिति | | | (1) स्वीकृत पद संख्या ... | (1) पूर्ण वेतनमान. ... |
| | | | (2) —"— | (2) ..... |
| | | | (3) —"— | (3) ..... |
| (5) भरती नियम के अनुसार | (क) सीधी भरती का प्रतिशत. . . | | पदों की संख्या. ..... | कार्यरत अधि./कर्म. . . |
| | (ख) पदोन्नति का प्रतिशत . . .. | | पदो की संख्या. ..... | कार्यरत अधि./कर्म. . . |

# पदक्रम सूची

| क्र.सं. | कर्मचारी/अधिकारी का नाम | शैक्षणिक योग्यता प्रशिक्षण जिसमें उपाधि/पदोपाधि प्राप्त की हो | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती/पदोन्नति अन्य संवर्ग से स्थानांतरण द्वारा/ संविलियन द्वारा | जाति अनु.जा./अनु.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग | जन्मतिथि | गृह जिला | शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति का दिनांक | संवर्ग में नियुक्ति का दिनांक | स्थायी करण का दिनांक | वर्तमान पद स्थापना एवं ,कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |

[मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण) दिनांक 25 अक्टूबर 1996 में प्रकाशित]

**सामान्य प्रशासन विभाग**
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 1996

एफ. क्र. सी-3-17-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-6 के उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चिय होने तक लंबित रखा जायेगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. सी. पण्डया,** अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 1996

क्र. सी-3-17-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-17-96-3-एक, दिनांक 25 अक्टूबर 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. सी. पण्डया,** अपर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/3-9/97/3/एक भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल, 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—वरिष्ठता सूची का संधारण.

सन्दर्भ.—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी/3-1/95/3/एक, दिनांक 2 फरवरी, 1995

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा पदक्रम सूची का पुनरीक्षित प्रपत्र भेजते हुये आपसे निवेदन किया गया था कि उक्त पुनरीक्षित प्ररूप में ही पदक्रम सूचियां प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल की स्थिति में प्रकाशित की जाने की व्यवस्था की जाये तथा प्रकाशित पदक्रम सूची की एक प्रति आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन विभाग की नियम शाखा को भेजी जाये.

2. शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उक्त निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है.

3. अत: निर्देशानुसार पुन: निवेदन है कि कृपया इस विभाग के परिपत्र दिनांक 2 फरवरी 1995 में निहित निर्देशों का अत्यंत कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाये तथा इस संबंध में प्रत्येक विभाग अपने विभागाध्यक्ष से एक सर्टिफिकेट प्राप्त करे कि सभी वर्गों के कर्मचारियों की पदक्रम सूची जारी कर दी गई है.

4. इसी प्रकार शासन स्तर से जारी की जाने वाली समस्त पदक्रम सूचियां जारी कर सभी सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना देने हेतु सभी सूचियां जारी हो गई है. यदि किसी वर्ग की सूची न निकल सके तो उसकी भी सूचना देंगे और बतायेंगे कि कब तक सूची जारी हो जायेगी.

हस्ता./—
(एस. सी. पण्डया)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी/3-9/97/3/एक भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल, 1997

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयुक्त, म. प्र. इन्दौर.
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र. भोपाल.
महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.

2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल,
राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.

3. मा. मुख्य मंत्रीजी/उप मुख्य मंत्रीजी/मंत्रिगण एवं राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म. प्र.

4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.

5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.

7. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.

8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.

9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय.

10. अवर सचिव, स्थापना/पर्यवेक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी/पुस्तकालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

11. आयुक्त, जनसंपर्क म. प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

12. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा 15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों संहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.

हस्ता./—
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि..... संवर्ग की दिनांक..... की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची जारी कर दी गई है.

जारी करने वाले अधिकारी का

नाम.....

पदनाम.....

विभाग.....

दिनांक.....

[मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण), दिनांक 2 अप्रैल 1998 में प्रकाशित]

**सामान्य प्रशासन विभाग**
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998

क्र. एफ. सी-3-84-92-3-एक.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

12. **वरिष्ठता.**—किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जावेगी, अर्थात्:—

1. **सीधी भर्ती किए गए तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता.**—(क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यतोक्रम के आधार पर अवधारित की जाएगी जिसमें नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की गई है, पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे.

(ख) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिए उनकी सिफारिश की जाती है.

(ग) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं तो उसी समय पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था.

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख, से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जाएगी.

(ङ) सीधे भर्ती किए गए तथा पदोन्नति किए गए व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किए जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(च) यदि किसी सीधी भर्ती की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे, निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिए.

(छ) यदि सीधी भरती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लॉक) सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे.

2. **स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता.**—(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरणों के लिए उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(ख) जहां कोई व्यक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानान्तरण के लिए उपबंधित भर्ती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानान्तरित व्यक्ति यथास्थिति सीधी भर्ती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा, तथा उसे यथास्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जाएगा.

(ग) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहां संगत भर्ती नियमों में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण" की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियत किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यत: उसके संविलियन की तारीख से की जावेगी. तथापि, यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो तो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्यधीन ध्यान में रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद में हो, नियुक्त किया गया था.

**स्पष्टीकरण.**—तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किए गए अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा.

(3) **विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता.**—(क) ऐसे मामलों में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद में कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो तथा यह

भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समय मान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी, जैसी कि उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होती.

(ख) ऐसे मामलों में जहां कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जा सकेगी.

(ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे.

(घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिए अलग-अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि—

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो तथा;

(दो) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिए अनुमोदन न किया गया हो.

4. **तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता.**—(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं को नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जाएगी.

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियमों के अनुसार सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एम. श्रीवास्तव,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998

क्र. सी-3-84-92-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-84-92-3-एक, दिनांक 2 अप्रैल, 1998 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एम. श्रीवास्तव,** उपसचिव.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र.भोपाल-एम.पी.-2
डब्ल्यू. पी./505/2000.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2000.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2000—फाल्गुन 20, शक 1921

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क्र. एफ. सी. 3-3-2000-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 के उप नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(5) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो; किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.

(6) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. के. वर्मा, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क्र. सी-3-3-2000-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-3-2000-3-एक, दिनांक 10 मार्च 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. के. वर्मा, उपसचिव.**

# छत्तीसगढ़ शासन
## सामान्य प्रशासन विभाग
## मंत्रालय
## दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

कमांक एफ 1–1/2010/1–3 रायपुर, दिनांक 02/06/2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषयः– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन।
संदर्भः– इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 1783–1585–एक (तीन) दिनांक 13 जुलाई, 1961

—:0:—

इस विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन अधिसूचना दिनांक 15.03.2011 जारी की गई है । जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक–72, दिनांक 18.03.2011 में हुआ है । राजपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः–यथोपरि।

(मुकुंद गजभिये)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एफ 1–1/2011/1–3 रायपुर, दिनांक 02/06/2011

प्रतिलिपिः–

01. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
02. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, जीरो पाईंट, रायपुर,
04. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
05. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर,
06. सचिव, लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग/राज्य सूचना आयोग, रायपुर,
07. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, रायपुर,
08. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर,
09. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर,
10. मुख्य निर्वाचान पदाधिकारी, रायपुर,
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
13. संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़,
14. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
15. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष–9) सा.प्र.वि. को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 01 प्रति सहित प्रेषित,
16. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, समस्त कक्ष मंत्रालय, रायपुर,
17. एन.आई.सी. मंत्रालय रायपुर की ओर वेबसाइट **http.cg.nic.in/gad** में अपलोड करने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभा

"विभागीय परिपत्र के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2011—फाल्गुन 27, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2011

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2010/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 के उप नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**मंत्रालय**
**दाऊ कल्याण सिह भवन, रायपुर**

क्रमांक एफ 1–1/2011/1/3, रायपुर, दिनांक07 मई, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़

विषयः– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन ।

संदर्भः– इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 1783/1585–एक(तीन), दिनांक 13 जुलाई, 1961

——:0:——

इस विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड "ग" में संशोधन से संबंधित अधिसूचना की राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

(एल.डी.चोपड़े)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 1–1/2011/1/3 रायपुर, दिनांक 07 मई, 2012

प्रतिलिपिः–

01. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
02. राज्यपाल के स चिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
03. सचिव, विधानसभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर,
04. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
05. कार्यालय, महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
06. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
07 सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
08. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
09. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग/सूचना का अधिकार आयोग, रायपुर,
10. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
11. मुख्य सचिव के अवर सचिव, रायपुर,
12. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मा0 मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण छत्तीसगढ़ रायपुर,
13. संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
14. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़
15. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष–9) सामान्य प्रशासन को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 1 प्रति सहित प्रेषित,
16. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभग (समस्त कक्ष) मंत्रालय–रायपुर,
17. राज्य सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को सामान्य प्रशासन विभाग, की वेबसाईट **htt://www.cg.nic.in/gad** में अपलोड करने हेतु अतिरिक्त प्रति सहित,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6-अ ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 10 जनवरी 2012—पौष 20, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2012

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2011/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 के उप-नियम (2) के खण्ड (ग) में ,—

(1) शब्द "वर्तमान विभाग" के स्थान पर शब्द "मूल विभाग" प्रतिस्थापित किया जाये.

यह संशोधन 2 अप्रैल, 1998 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

(2) शब्द "जो भी बाद हो" के स्थान पर, शब्द "जो भी पूर्वतर हो" प्रतिस्थापित किया जाये.

यह संशोधन दिनांक 14 दिसंबर, 1999 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.
एम. के. त्यागी, विशेष सचिव.

12 (1)

**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**मंत्रालय**
**दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर**

क्रमांक एफ 1–2/2012/1/3 रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़

विषयः– शासकीय सेवकों के स्थायीकरण संबंध में ।

संदर्भः– इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 1269/1/3, दिनांक 19 अगस्त, 1969, क्र. 6901/3904/एक(1), दिनांक 12 अक्टूबर, 1972, एफ क्रमांक सी 3–1/73/3/1, दिनांक 5 फरवरी, 1973 एफ क्रमांक 3–6/77/3/1, दिनांक 30 मई, 1977, डी.क्रमांक 288/636/1/(3)79, 6 जून,1979, क्रमांक एफ 6–29/1987/एक(1), दिनांक 4 अप्रेल, 1987, क्रमांक सी/3–10/93/3/एक, दिनांक 16 मार्च, 1993.

—:0:—

उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों के संबंध में शासन के ध्यान में यह बात आई है कि शासकीय सेवकों के स्थायीकरण की कार्यवाही विभागों द्वारा नियमानुसार समय पर नहीं की जा रही है । विभागों में स्थायीकरण की कार्यवाही में विलम्ब एवं शिथिलता के कारण कई शासकीय सेवक अस्थायी एवं स्थानापन्नता की हैसियत में ही, लम्बी अवधि तक सेवा करने के उपरान्त, सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं । यह स्थिति उचित नहीं है । शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के संबंध में जारी संदर्भित परिपत्रों की छायाप्रति संलग्न है ।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, स्थायीकरण के संबंध में परिपत्र क्रमांक एफ 8–25/86/का.प्र.सु./1, दिनांक 12.09.1986 जारी किए गए हैं, कई बार स्थायीकरण नहीं करने का एक कारण स्थायी पदों की अनुपलब्धता बताया जाता है । परिपत्र दिनांक 17.09. 1962 में यह कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी पदों में से 50 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ग एवं राजपत्रित श्रेणी के अस्थायी पदों में से 80 प्रतिशत पदों को स्थायी में परिवर्तित किया जाए । परिपत्र दिनांक 12.09.1986 द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में नवीन पदों के निर्माण का प्रस्ताव, वित्तीय संहिता भाग –एक के नियम 73–78 तक में वर्णित

निर्देशों के अनुसार उसमें उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जाकर, वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाए एवं पदों का निर्माण स्थायी रूप से ही किया जाए । उक्त परिपत्र द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि पिछले तीन वर्षों से जिन पदों के बारे में लगातार निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त की जाती रही है । भविष्य में भी निरंतर रखने की संभावना है । अतः इस प्रकार के पदों को स्थायी रूप से निर्मित किए जाने पर विचार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

3/ कतिपय विभागों में, संभवतया अधिकारियों को स्थायीकरण की सही प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के करण सभी प्रकार के स्थायीकरण के प्रकरण लोक सेवा आयोग की सहमति के लिए भेज दिए जाते हैं । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 6901/3904/एक(1), दिनांक 12.10.1972 के अनुसार जो नियुक्तियां सीधी भरती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से परिवीक्षा पर नियुक्ति की गई हों, उन पर कार्यरत शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के लिए लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है । इन मामलों को छोड़कर, शेष सभी मामलों में लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही स्थायीकरण आवश्यक है ।

4/ **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में स्थायीकरण संबंधी निम्न प्रावधान है :–**

(अ) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम–8 के उप नियम (6) के अनुसार परिवीक्षकाल की अवधि पूरी होने पर स्थायी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए । परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को स्थायीकरण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे परिवीक्षा समाप्त होने की तिथि से, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो, तो स्थायीकरण करने के आदेश निकालना चाहिए । यदि उनकों स्थायी करने के लिए स्थायी पद उपलब्ध न हो, तो उनके पक्ष में यह प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसने परिवीक्षा सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है, और उन्हें स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण ही परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थायीकारण संबंध आदेश नहीं निकाले जा सके हैं, तथा भविष्य में जैसे ही उनके लिए स्थायी पद उपलब्ध होंगे वैसे ही उन्हें स्थायीकरण कर दिया जागेया ।

(ब) कोई व्यक्ति, जो पहले ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाए उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षण पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा । परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर एवं संबंधित शासकीय सेवक के उपयुक्त पाए जाने पर उसे स्थायी किया जायेगा, किन्तु यदि स्थायी पद उपलब्ध न हो तो संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा कि " स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जायेगा ।"

5/ **स्थायीकरण के लिए समितिः–** पदोन्नति से नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन करने का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 2501/2190/86/एक(1), दिनांक 24.09.1986 में किया गया है । उक्त परिपत्र के अनुसार स्थायीकरण के प्रकरणों में वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो लोक सेवा आयोग एवं विभागों द्वारा पदोन्नति के प्रकरणों में अपनाई जाती है । इन शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के प्रकरणों के निपटारे के लिए एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें संबंधित विभाग के एवं लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि हो । स्थायीकरण समिति का बैठक में लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि के भाग लेने के फलस्वरूप उनकी सिफारिश के संबंध में पुनः लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा ।

6/ **स्थायीकरण के लिए गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन :–** जहां तक स्थायीकरण के लिए गोपनीय प्रतिवेदनों के देखने का प्रश्न है, इस संबंध में समुचित निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3–4/83/3/1, दिनांक 02.07.1983 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार स्थायीकरण करने की निर्धारित तिथि से दो वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदनों के परीक्षणोंपरांत, उपयुक्तता निर्धारित की जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए ।

7/ आदेशानुसार शासन के समस्त विभागोंसे निवेदन है, की सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों के अनुसार अस्थायी शासकीय सेवकों का स्थायीकरण कर की गई कार्यवाही से इस विभाग को एक माह की अवधि में अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 1–2/2012/1/3 रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल, 2012

प्रतिलिपिः–

01. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
02. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
03. सचिव, विधानसभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर,
04. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
05. कार्यालय, महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
06. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
07 सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
08. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
09. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग/सूचना का अधिकार आयोग, रायपुर,
10. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
11. मुख्य सचिव के अवर सचिव, रायपुर,
12. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मा0 मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण छत्तीसगढ़ रायपुर,
13. संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
14. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़
15. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष–9) सामान्य प्रशासन को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितस्ति करने हेतु अतिरिक्त 1 प्रति सहित प्रेषित,
16. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभग (समस्त कक्ष) मंत्रालय–रायपुर,
17. राज्य सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को सामान्य प्रशासन विभाग, की वेबसाईट **htt://www.cg.nic.in/gad** में अपलोड करने हेतु अतिरिक्त प्रति सहित,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एल.डी.चोपड़े)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 1269/(3)/1(U)        भोपाल, दिनांक 19 अगस्त, 1969

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश

विषय:- स्थाईकरण संबंधी प्रकरणों में लोक सेवा आयोग से परामर्श करने बाबत।

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 4072-4073-एक(1) दिनांक 8 नवम्बर, 1967 के अनुसार स्थाईकरण के प्रकरणों में लोक सेवा आयोग से परामर्श करने संबंधी निर्देश दिये गये है। लोक सेवा आयोग द्वारा यह सूचित किया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा बिना आयोग से परामर्श किये ही स्थाईकरण संबंधी प्रकरणों में कार्यवाही की जाती है। जो सर्वथा उपरोक्त संदर्भित आदेशों के विपरीत है। अत: यह निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

2/ स्थाईकरण संबंधी प्रस्ताव भेजते समय [illegible] निम्नानुसार जानकारी भी कृपया प्रदाय की जावे ताकि प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।

(1) स्थाईकरण संबंधी प्रस्ताव भेजते समय 1-11-1956 के पश्चात् की ज्येष्ठता सूची जिसमे स्थाई सेवा निवृत्त(मृत) निरस्त अधिकारियों संबंधी जानकारी होना चाहिए। यदि ज्येष्ठतम अधिकारियों के क्लैम को न मानते हुए स्थाईकरण के प्रस्ताव किये गये हो तो उसकी भी जानकारी भेजी जावे।

(2) स्थाई किये जाने वाले एवं न किये जाने वाले अधिकारियों की गोपनीय नस्तियाँ ।

(3) क्या स्थाई किये जानेवाले अधिकारी का चयन आयोग द्वारा सीधी भरती से किया गया था या पदोन्नति से। चयन या पदोन्नति किस वर्ष की गई ।

हस्ता/-
म0प्र0सिंहदेव
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक 1276/(3)-एक(1) भोपाल, दिनांक 19अगस्त 1969

प्रतिलिपि, सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर को उनके पत्र क्रमांक 5691-481-68 जी0एस0 दिनांक 14 मई 1969 के सन्दर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।

हस्ता/-
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 6901 /3904/एक(1) भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर, 1972

प्रति

शासन के समस्त विभाग
म. प्र. भोपाल.

विषय : स्थायीकरण के मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श करना।

संदर्भ : इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 4072/4073/एक(1) दिनांक 8-11-67।

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कभी कभी विभागों द्वारा प्रस्तुत स्थायीकरण के प्रकरण संबंधित अधिकारियों के स्वत्वाधिकार एवं वरिष्ठता के अनुकूल नहीं होते। विभागों की इस प्रकार की अनियमितताओं के कारण संबंधित व्यक्तियों के उच्च पद पर पदोन्नति के मामलों में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 320 स्थायीकरण के मामले में शांत है, फिर भी यह उचित होगा कि स्थायीकरण के कुछ मामलों में आयोग का मत प्राप्त किया जाना चाहिये। अतः इस संबंध में निम्नलिखित आदेश मार्गदर्शन के लिये प्रसारित किये जाते हैं :-

(1) जहां तक ऐसे व्यक्तियों का प्रश्न है जो अस्थायी पदों पर नियुक्त किये जाते हैं या स्थायी पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाते हैं, उनके संबंध में वर्तमान प्रणाली यह है कि विभाग उनके स्थायीकरण के मामलों में आयोग का मत प्राप्त करते हैं। यह प्रणाली चालू रहना चाहिए चाहे नियुक्ति चयन द्वारा की गई हो या पदोन्नति द्वारा।

(2) जिन व्यक्तियों की नियुक्ति आयोग द्वारा चयन किये जाने पर परिवीक्षा पर की जाती है, उनके स्थायीकरण के मामले आयोग के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका स्थायीकरण भरती नियमों में प्रस्तावित परिवीक्षा की समयावधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर स्वतः ही हो जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

( डी0जे0मोरजे )
निज सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 6902 / 3904/एक(1) भोपाल, दिनांक 12-10-72

प्रतिलिपि, सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर की ओर उनके पत्र क्रमांक 25223/33ए/67 जी एस 'ए' दिनांक 28 अक्तूबर, 1971 के संदर्भ में अग्रेपित ।

(हस्ताक्षर)

विशेष सचिव

---

(हस्ताक्षर) 12/10
12/10 जैन अशोक

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
--

क्रमांक सी/3/1/73/3/1 भोपाल, दिनांक 5 फरवरी, 1973

प्रति,

शासन के समस्त सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- शासकीय सेवकों के स्थायी करण संबंधी ।
--

शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि कर्मचारियों की छोटी मोटी समस्याएं हल न होने का एक कारण यह भी है कि शासन के आदेशों का पालन ठीक से नहीं होता । इस परिस्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक वाच डाग कमेटी का गठन किया है ।

इस कमेटी की पहली बैठक में यह महसूस हुआ है कि कर्मचारियों की मुख्य समस्याएं इस प्रकार है :- वरिष्ठता सूची का न बनाना तथा स्थायीकरण न होना । स्थायीकरण न होने की एक वजह शायद यह भी है कि अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित नहीं किया जाता है । समिति ने यह भी तय किया कि अब स्थायीकरण के मामले को प्राथमिकता देते हुए अप्रैल तक इस समस्या का निराकरण करने की कोशिश की जाए । अस्थायी पदों के स्थायी पदों में परिवर्तन के बारे में तथा स्थायी पदों पर कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में अब तक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किए जा चुके है :-

1- ज्ञापन क्रं. 226/सी.आर./180/आई.पी.सी./दिनांक 17.9.62
2- ज्ञापन क्रं0 2069/1353/एक/तीन/70/ दिनांक 24.10.70

आपकी सुविधा के लिये ताराचन्द वेतन आयोग की अनुशंसा पर शासन के निर्णय की प्रति संलग्न है । आपसे अनुरोध है कि आगामी वित्तीय वर्ष में अस्थायी पदों को चालु रखने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजते समय इस बात का विशेष रूप से छानबीन की जाए कि ताराचन्द वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर शासन के निर्णय के प्रकाश में कौन-कौन से पद साल वसाल चालु रखने के बजाए स्थायी पदों में परिवर्तित किये जा सकते है, और तदनुसार इन पदों को एक साल के लिए चालु रखने की बजाय स्थायी पदो में परिवर्तित करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजें ।

यदि चौधरी समिति द्वारा अनुशंसित आपके विभाग का सेटअप स्वीकृत हो चुका है, तो सेटअप में स्वीकृत सभी स्थायी पदों पर कर्मचारियों कर्मचारियों का स्थायीकरण प्राथमिकता देकर किया जाए । यह कार्यवाही हर हालत में जून, 73 तक पूरी होनी चाहिये ।

....2/

इस मामले में विभागों में हुई प्रगति का मूल्यांकन शासन अप्रैल में करेगा। उस समय वाच डाग कमेटी के समक्ष विभागों की अप टू डेट स्थिति बताई जाएगी, उससे पहले उच्च स्तर पर एक बैठक बुलाई जाएगी, उसमें आप कृपया निम्न मुद्दों पर जानकारी देकर उपस्थित होने का कष्ट करें :-

1- चौधरी समिति द्वारा मान्य सेटअप का विवरण ।

2- दिनांक 1·1·73 को विभाग में स्वीकृत स्थायी तथा अस्थायी पद केडर वाइज तथा उन पर स्थायी किए गए व्यक्तियों की संख्या ।

3- उन पदों का विवरण तथा संख्या जो चौधरी समिति की अनुशंसा पर स्थायी किये जा रहे है या किए गए है ।

4- विभाग के हर संवर्ग के किस तारीख तक की वरिष्ठता सूची प्रकाशित हो चुकी है : संवर्ग वार विवरण दे ।

5- <u>स्थायीकरण</u>

इसकी जानकारी भी श्रेणीवार दी जाए ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी निम्न श्रेणी के कर्मचारी तथा अकाउन्टेंट इत्यादि ।

6- इससे पहले स्थायीकरण का मामला कब हाथ में लिया गया था तथा किस साल में भरती किए गए कर्मचारियों के स्थायीकरण पर विचार किया गया ।

ऐसी ही जानकारी विभाग के राजपत्रित संवर्गों के बारे में भी बना कर लाइए । मिटिंग की सूचना अलग से दी जाएगी ।

हस्ताक्षर/
मु०वि० गर्दे
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 3-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 30 मई, 1977.
9 ज्ये., 1899

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश.

विषय :- परिवीक्षा काल पर नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :- इस विभाग का दिनांक 9 सितम्बर, 1974 का ज्ञापन एफ. क्रमांक 3-15/74/3/1.

-----

उपर्युक्त ज्ञापन के द्वारा यह सूचित किया गया था कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्तियां परिवीक्षा पर की जायें एवं उनका वेतन-निर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य प्रावधानों के अनुसार किया जाय । इस आदेश के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कई विभागों में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है, अतः परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए जारी किया जाता है :-

(1) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षा-काल की अवधि पूरी होने पर स्थाई करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए । परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे परिवीक्षा-काल समाप्त होने की तिथि से, यदि स्थाई पद उपलब्ध हो, तो स्थाई करने के आदेश निकालना चाहिए । यदि उनको स्थाई करने के लिए स्थाई पद उपलब्ध न हों, तो उनके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसने परिवीक्षा सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया है और उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण ही परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके । भविष्य में जैसे ही उनके लिए स्थाई पद उपलब्ध होंगे, वैसे ही उन्हें स्थाई कर दिया जायगा । इस प्रकार प्रमाण-पत्र देने का उद्देश्य यह है कि जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण सफलता पूर्वक परिवीक्षा-काल पूर्ण करलेने पर भी स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके, तो उसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान न हो । अर्थात् प्रमाण-पत्र के आधार पर ही उन्हें

क्रमशः -------- 2.

परिवीक्षा-काल में रुकी हुई वार्षिक वेतन वृद्धियाँ, बकाया राशि के साथ दे दी जायें तथा भविष्य में भी उन्हें निर्धारित रूप से वार्षिक वेतन - वृद्धियाँ मिलती रहें ।

(2) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा-काल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर स्थाई पद के अभाव में उपर्युक्त नियम के अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाता है, उन्हें भविष्य में स्थाई करने के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है । जब भी स्थाई पद उपलब्ध होते हैं, तब ऐसे सभी व्यक्तियों को, उनकी आपसी वरिष्ठता-क्रम के अनुसार स्थाई करने के औपचारिक आदेश निकाल देना चाहिए । इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि परिवीक्षा पर नियुक्त करने के आदेश जारी होने के पहले यदि उसी पद पर अस्थाई रूप से नियुक्तियाँ की गई हों, तो स्थाईकरण करते समय पूर्व में अस्थाई रूप से नियुक्त शासकीय सेवकों एवं परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्तियों को, जिन्हें स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाया गया हो, उनकी आपसी वरिष्ठता-क्रम से, जो नियमानुसार निर्धारित की गई है, स्थाई करना चाहिए । जो व्यक्ति स्थाईकरण के लिए प्रथम अवसर पर उपयुक्त नहीं पाए जाते, उन्हें बाद में उपयुक्त पाए जाने पर स्थाई किया जाता है, तो वे उनसे पहले स्थाई किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ माने जायेंगे ।

(3) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा-काल समाप्त होने पर स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, नियुक्ति अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण - दोष के आधार पर नियमानुसार परिवीक्षा-काल में एक वर्ष की वृद्धि कर सकता है । यदि किसी व्यक्ति को परिवीक्षा-काल समाप्त होने पर या परिवीक्षा काल में वृद्धि करने के पश्चात् भी स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता, तो उसकी सेवायें उक्त नियम के नियम 8(5) के अनुसार परिवीक्षा काल पूर्ण होने की तारीख से समाप्त करनी चाहिए ।

(4) यदि किसी कारणवश उपर्युक्त पैरा (3) में उल्लेखित व्यक्ति की सेवायें समाप्त करने के आदेश नहीं निकाले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उप-नियम (7) का प्रावधान लागू होगा । यह उपनियम अपवाद स्वरूप ही किसी विशेष प्रकरण में लागू किया जाना चाहिए न कि सभी ऐसे व्यक्तियों के मामलों में, जिन्होंने परिवीक्षा-काल सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया हो । इस श्रेणी के शासकीय सेवक उस पद पर परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख से अस्थाई रूप से नया नियुक्त शासकीय सेवक माने जायेंगे तथा उन्हें वेतन-निर्धारण एवं वरिष्ठता के लिए परिवीक्षा-काल में व्यतीत की गई पूर्व सेवा का लाभ नहीं मिलेगा ।

क्रमशः ---------- 3.

2/ सभी विभागों से निवेदन है कि आपके विभाग के अधीनस्थ सेवाओं में शारीरिक-हीन शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के मामले उपर्युक्त अनुदेश के अनुसार शीघ्र निपटायें जायें. जहाँ तक सम्भव हो, पोलियोग्रस्त व्यक्तियों को स्थाई करने के लिए मामला परिवीक्षा काल समाप्त होने के दो माह पूर्व ही विचार में लिया जाय, ताकि उनके सम्बन्ध में निर्णय परिवीक्षा काल समाप्त होने के पूर्व ले लिया जा सके ।

3/ जहाँ तक पोलियोग्रस्त व्यक्तियों को भर्ती करने के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियम 8 के उप-नियम (6) के अनुसार प्रमाण-पत्र के आधार पर [illegible] देने के विरोध का सम्बन्ध है, यह आदेश [illegible] से पृथक् [illegible] गया है ।

(सी.पी. सिंह)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ.क्रमांक 3-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1977.
9 चैत्र, 1899.

प्रतिलिपि :-

1 - रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इन्दौर
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्य प्रदेश, भोपाल

---

2 - राज्यपाल के सचिव / उप सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्य प्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

---

3 - महालेखापाल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

उप सचिव

मुद्रणार्थ
[illegible]/-
30-5

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी क्रमांक 288 /636/1(3)79 भोपाल दिनांक 6th जून, 1979.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर
मध्य प्रदेश ।

विषयः - मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 में संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण ।

==x==

इस विभाग को दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना एफ क्रमांक 3-15/74/3/1 के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा(सेवा की सामान्य शर्तें)नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन करके एक नया उपनियम(7) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से न तो स्थाई किया गया और न उसके पक्ष में उपनियम(6) के अधीन कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया या उपनियम(4) के अधीन उसे सेवा से उन्मोचित नहीं किया गया, तो वह व्यक्ति परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा तथा उसकी सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंट्स(टेम्परेरी एण्ड क्वासी परमानेंट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होंगी ।

2/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश ने शासन को सूचित किया है कि उनके पास कुछ व्यक्तियों के वेतन निर्धारण के मामलों में यह पाया गया कि परिवीक्षा पर नियुक्त किये गए व्यक्ति को, परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर उसे उपर्युक्त उप नियम(7) के अंतर्गत अस्थाई शासकीय सेवक मानकर उसे उसकी परिवीक्षाकाल में नियुक्ति की तारीख से वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ देकर वेतन निश्चित किया गया है । महालेखाकार ने इस प्रकार के मामले में शासन से यह स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया कि :-

(1) क्या मध्यप्रदेश सिविल सेवा(सेवा की सामान्य शर्तें)नियम, 1961 के नियम 8 में दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना के द्वारा किया गया संशोधन उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दिनांक 9-12-74 के पूर्व अपनी परिवीक्षा पूर्ण कर चुके थे किन्तु जिन्हें स्थाई नहीं किया

है और न हो सेवा से पृथक करने के आदेश प्रसारित किये गए है और न परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है ।

(2) जो शासकीय सेवक उपर्युक्त नियम के उप नियम(7) के अंतर्गत अस्थाई शासकीय सेवक माने गए है उनके संबंध में यह अनुमान है कि उनकी परिवीक्षाकाल की अवधि वेतनवृध्दि के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा वह परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अपने वेतन के न्यूनतम वेतन से अपनी अस्थाई सेवा आरंभ करेंगे ।

3/ महालेखाकार द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के संबंध में उन्हें यह सूचित किया गया है कि :-

(1) इस विभाग की दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना प्रसारित होने के पूर्व जिन व्यक्तियों का परिवीक्षाकाल समाप्त हो गया था, उनके मामले पर उपर्युक्त संशोधन लागू नहीं होगा । ऐसे मामले उस समय विधमान नियमों के अनुसार ही निपटाये जाएंगे क्योंकि उपर्युक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है। उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा किया गया संशोधन उन सभी परिवीक्षाधीन व्यक्तियों पर लागू होगा और उक्त संशोधन के जारी होने की तारीख को निर्धारित किया गया परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं किये थे या जो उक्त संशोधन जारी होने के बाद परिवीक्षा पर नियुक्त किये गए है ।

(2) जिन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को उक्त नियम के उप नियम(7) के अंतर्गत परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई रूप से नियुक्त माना जाएगा उनको परिवीक्षाकाल में की गई सेवाओं का लाभ वेतनवृध्दि की पात्रता के लिए नहीं मिलेगा । परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से ही उसकी अस्थाई रुप से नियुक्ति आरंभ होगी और उसके बाद एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही उसे पहली वेतन वृध्दि की पात्रता मिलेगी ।

4/ सभी विभागों से निवेदन है कि वे शासन के उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के मामलों का निराकरण करें ।

(एल०एन० मीणा)
उप सचिव 5/4/77
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अति आवश्यक

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ. ए. 6-29/1987/एक।।। भोपाल, दिनांक 4 अप्रेल, 1987

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- विभिन्न विभागों के अधिकारियों के स्थाईकरण हेतु गठित विभागीय स्थाईकरण समिति की बैठक आयोजित करने के संबंध में जानकारी भेजने विषयक ।

===0===

उपर्युक्त विषय में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 2501/2190/86/एक।।।, दिनांक 24-9-1986 का कृपया अवलोकन करें । उक्त पत्र द्वारा शासन के समस्त विभागों से यह निवेदन किया गया था कि भविष्य में अधिकारियों के स्थाईकरण के प्रकरणों के निपटारे के लिये एक समिति का गठन किया जाय, जिसमें संबंधित विभाग के एवं लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि होंगे ।

2/ इस संबंध में लोक सेवा आयोग ने सूचित किया है कि शासन के उपरोक्त निर्देशों के बावजूद भी अधिकांश विभागों से स्थाईकरण समिति के गठन संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । अत: आदेशानुसार पुन: निवेदन है कि इस विभाग के उपरोक्त परिपत्र क्रमांक 2501/2190/86/एक।।। दिनांक 24-9-86 में दिये गये निर्देशों के अनुसार स्थाईकरण हेतु समिति का गठन करके इसकी सूचना लोक सेवा आयोग को तत्काल भेजने का कष्ट करें ।

3/ इस संदर्भ में यह भी निवेदन है कि स्थाईकरण हेतु गठित स्थाईकरण समिति की बैठक आयोजित करने के प्रस्ताव में विचार करने हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा चाही गई जानकारी समय पर उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि वांछित जानकारी के अभाव में समिति की बैठक की तिथि निश्चित करने में विलम्ब न हो । अत: आपसे अनुरोध है कि विभागीय स्थाईकरण समिति की बैठक आयोजित करते समय आयोग को परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित जानकारी आवश्यक रूप से भेजी जाना चाहिये । लोक सेवा आयोग ने वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिये स्थाईकरण समिति की बैठक आयोजित करने का मास्टर प्लान (विस्तृत जानकारी) तैयार किया है जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है ।

4/ अत:, आदेशानुसार निवेदन है कि इस प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर विभागों से

...2

संबंधित स्थाईकरण समिति की बैठक हेतु आवश्यक जानकारी लोक सेवा आयोग को निर्धारित समयावधि में ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि लोक सेवा आयोग के प्रस्तावित मास्टर प्लान के अनुसार कार्यवाही के लिये कोई असुविधा न हो ! आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस विभाग को दिनांक 15-4-87 तक अवगत कराने की कृपा करें।

(आई० डी० खत्री)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ. ए. 6-29/1987/एक(1) भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल, 1987

प्रतिलिपि :-

सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को उनके पत्र क्रमांक 111445/63/86/जी. एस., दिनांक 18-2-87 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आई० डी० खत्री)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

केरकेट्टा 3487.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी/3-10/93/3/एक भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 1993

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- शासकीय सेवकों का स्थायीकरण ।

संदर्भ :- हाशिए पर बताए अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन ।

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि शासकीय सेवकों के स्थायीकरण की कार्यवाही, विभागों द्वारा, नियमानुसार, समय पर नहीं की जा रही है । विभागों में स्थायीकरण की कार्यवाही में विलम्ब एवं शिथिलता के कारण कई शासकीय सेवक अस्थायी एवं स्थानापन्नता की हैसियत में ही, लम्बी अवधि तक सेवा करने के उपरान्त, सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं । यह स्थिति उचित नहीं है ।

226/सी0आर0/80/1-पी0सी0
17-9-1962

139/7-1/ओ0एण्ड एम0
29-6-1966

8-25/86/का0प्र0सु0/1
12-9-1986

129/प्रस/का0प्र0सु0/89
31-3-1989

2. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, स्थायीकरण के संबंध में, हाशिए में बताए परिपत्र जारी किए गए हैं । कई बार स्थायीकरण नहीं करने का एक कारण, स्थायी पदों की अनुपलब्धता बताया जाता है । परिपत्र दिनांक 17-9-62 में कहा गया है कि चतुर्थ वर्ग के अस्थायी पदों में से 50% तथा तृतीय वर्ग एवं राजपत्रित श्रेणी के अस्थायी पदों में से 80% पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित किया जाए । परिपत्र दिनांक 12-9-86 द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि भविष्य में नवीन पदों के निर्माण का प्रस्ताव, म0प्र0 वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम- 73 से 78 तक में वर्णित निर्देशों के अनुसार, उसमें उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया

क्रमशः 2....

का निर्माण स्थायी रूप से ही किया जाए । इस परिपत्र द्वारा यह भी निर्देश जारी किए गए थे कि पिछले तीन वर्षों से, जिन पदों के बारे में लगातार निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त की जाती रही है, भविष्य में भी निरंतर रखने की संभावना है, अत: इस प्रकार के पदों की, स्थायी रूप से निर्मित किए जाने पर विचार कर, अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

§ 6901/3904/एक§1§
12-10-1972

3. कतिपय विभागों में, संभवतया अधिकारियों को स्थायीकरण की सही प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण, सभी प्रकार के स्थायीकरण के प्रकरण लोक सेवा-आयोग की सहमति के लिए भेज दिए जाते हैं । 12-10-72 के परिपत्र के अनुसार जो नियुक्तियां सीधी भरती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से परिवीक्षा पर की गई हों, उन पर कार्यरत शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के लिए लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है । इन मामलों को छोड़कर, शेष सभी मामलों में लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही स्थायीकरण आवश्यक है ।

4. मध्यप्रदेश सिविल सेवा §सेवा की सामान्य शर्तें§ नियम-1961 के स्थायीकरण संबंधी प्रावधान :-

§6§ अधिसूचना क्र0एवं दिनांक
3-15-74-3-एक
तथा
9-12-1974
ज्ञापन क्र0 एवं दिनांक
§7§ 3-6/77/3/1
30-5-1977
§8§ 288/636/1§3§/79
6-6-1979

§अ§ जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा §सेवा की सामान्य शर्तें§ नियम- 1961 के नियम-8 के उप-नियम §6§ के अनुसार परिवीक्षाकाल की अवधि पूरी होने पर स्थायी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए । परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को स्थायीकरण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि से, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो, तो

स्थायी करने के आदेश निकालना चाहिए । यदि उनको स्थायी करने के लिए स्थायी पद उपलब्ध न हों, तो उनके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उन्होंने परिवीक्षा सफलता-पूर्वक पूरा कर लिया है और उन्हें स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ही परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थायी करने के आदेश नहीं निकाले जा सके । भविष्य में जैसे ही उनके लिए स्थायी पद उपलब्ध होंगे, वैसे ही उन्हें स्थायी कर दिया जायेगा ।

टिप्पणी एवं दिनांक
§9§सी/3-4/87/3/1
7-5-1987 तथा
क्र0 एवं दिनांक
§10§ सी/3-4/87/3/1
10-6-1987

§ब§ कोई व्यक्ति, जो पहले ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाए, उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए सामान्यत: दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षण पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा । परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर एवं संबंधित शासकीय सेवक के उपयुक्त पाए जाने पर उसे स्थायी किया जायेगा, किन्तु यदि स्थायी पद उपलब्ध न हो तो संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा कि "स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जायगा ।"

5. स्थायीकरण के लिए समिति :- पदोन्नति से नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन करने का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 2501/2190/86/§एक§1, दिनांक 24-9-86 में किया गया है । उक्त परिपत्र के अनुसार स्थायीकरण के प्रकरणों में वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो लोक सेवा आयोग एवं विभागों द्वारा पदोन्नति के प्रकरणों में अपनाई जाती है । इन शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के प्रकरणों के निपटारे के लिए एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें संबंधित विभाग के एवं लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि हों । स्थायीकरण

क्रमश: 4...

समिति की बैठक में लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि के भाग लेने के फलस्वरूप, उनकी सिफारिश के संबंध में पुन: लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा ।

6. स्थायीकरण के लिए गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन :- जहाँ तक स्थायीकरण के लिए गोपनीय प्रतिवेदनों के देखने का प्रश्न है, इस संबंध में समुचित निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक-सी-3-4/83/3/1, दिनांक 2-7-83 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार स्थायीकरण करने की निर्धारित तिथि से, दो वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदनों के परीक्षणोपरान्त, उपयुक्तता निर्धारित की जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए ।

7. (अ) अत: सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, अस्थायी/स्थानापन्न शासकीय सेवक, जिन्हें अब तक नियमानुसार स्थायीकरण की पात्रता प्राप्त हो चुकी है, को स्थायी करने की कार्यवाही दिनांक 30-4-93 तक निश्चित रूप से सम्पन्न की जाए ।

(ब) इस बारे में एक प्रमाण पत्र इस विभाग को 10 मई, 1993 तक भिजवाया जाए, कि दिनांक 1-5-93 की स्थिति में, उपरोक्तानुसार, स्थायी पदों का निर्माण कराते हुए, पात्रता प्राप्त शासकीय-सेवकों का स्थायीकरण कर दिया गया है ।

M.S. Sinha
(एम०एस०सिन्हा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमश: 5..

पृष्ठांकन क्रमांक सी/3-10/93/3/एक, भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 1993

प्रतिलिपि :-

1- निबंधक, उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर,
सचिव, लोकायुक्त, म0प्र0 भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म0प्र0 इन्दौर,
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म0प्र0 भोपाल ।

---

2- राज्यपाल के सचिव, म0प्र0 राजभवन, भोपाल,
राज्यपाल के सलाहकारों के निज सचिव,
सचिव, विधानसभा सचिवालय, म0प्र0 भोपाल ।

---

3- अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म0प्र0 भोपाल ।

4- रजिस्ट्रार, म0प्र0 राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर ।

5- महाधिवक्ता, म0प्र0 जबलपुर ।

6- प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।

7- अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म0प्र0 सचिवालय, भोपाल ।

8- आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

M.S. Sinha

(एम0एस0सिन्हा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 8-25/86/क्रप्रसु/एक, भोपाल, दिनांक 12.9.1986

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश.

विषय:- नवीन पदों का स्थायी रूप से निर्मित किया जाना ।

विभागों के कार्य कलापों में समय-समय पर बढ़ोत्तरी होती रहने के कारण तथा नई-नयी योजनाओं को लागू करने के लिए नवीन पदों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जाते हैं । वित्त विभाग द्वारा नए पद निर्माण की स्वीकृति उस वित्तीय वर्ष के फरवरी माह तक के लिए जारी की जाती है, जिस वित्तीय वर्ष हेतु नवीन पद निर्मित हुए हैं, चाहे पदों का स्वरूप कैसा भी हो, अर्थात पदों की आवश्यकता चाहे स्थायी हो या अस्थायी ।

2/ इस प्रकार अस्थायी रूप से पद निर्मित हो जाने के बाद प्रति वर्ष उनके निरंतर बने रहने की स्वीकृति प्राप्त की जाना पड़ती है । निरंतरता आदेश कई बार समय पर प्रसारित नहीं हो पाने से संबंधित कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान यथासमय नहीं हो पाता । प्रशासकीय एवं वित्त दोनों विभागों में पदों की प्रतिवर्ष की निरंतरता कायम रखने के लिए अनावश्यक रूप से प्रशासनिक कार्य उत्पन्न होता है तथा उन पदों के विरुद्ध कार्य कर रहे कर्मचारियों के स्थायीकरण में भी विलम्ब होता है ।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में नवीन पदों के निर्माण का प्रस्ताव मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम 73 से 78 में वर्णित निर्देशों के अनुसार निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जाकर वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाय:-

(1) कार्य का स्वरूप, जिसके लिए नए पदों के निर्माण की आवश्यकता है? यदि कार्य स्थायी स्वरूप का है और पदों की आवश्यकता निरंतर

....2/-

रूप से प्रतिवर्ष बनी रहने की सम्भावना है तो ऐसे पदों को प्रारंभ से ही स्थायी रूप से निर्मित करना प्रस्तावित होना चाहिए।

§2§ यदि कार्य का स्वरूप अस्थायी प्रकार का है, अर्थात किसी विशेष कार्य को एक निर्धारित अवधि में पूरा किया जाना है तो ऐसे कार्य के लिए अस्थायी रूप से नवीन पद निर्मित किया जाना प्रस्तावित किया जाय।

4- पूर्व में अस्थायी रूप से निर्मित किए गए ऐसे पद जिनकी पिछले 3 वर्षों से लगातार निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त की जाती रही है व भविष्य में भी निरंतर रहने की संभावना है, उन्हें अब स्थायी रूप से निर्मित किए जाने पर विचार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
हस्ता0/-
§एन. एस. हेडो §
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ0क्र0 एफ-8-25/86/काप्र/एक, भोपाल, दिनांक 12.9.86

प्रतिलिपि:-

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

हस्ता0/-
§आर. एल. वार्ष्णेय§
अवर सचिव.

सत्य प्रतिलिपि
§ डी. एन. क्षीरसागर §
अनुभाग अधिकारी
काप्र-प्रशि-विभाग-9.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

MEMORANDUM

No. 226-CR-180/I-PC, dated Bhopal, the 17th September 1962-
Bhadra 26, 1884.

To

ALL DEPARTMENTS OF GOVERNMENT,
THE PRESIDENT, BOARD OF REVENUE,
ALL COMMISSIONERS OF DIVISIONS,
ALL HEADS OF DEPARTMENTS, AND
ALL COLLECTORS,
MADHYA PRADESH.

SUBJECT:- Pay Committee's recommendations regarding temporary posts, work-charged staff and contingency-paid staff.

REFERENCE:- General Administration Department Resolution No. 2557/I-PC, dated the 30th November 1960 - Appendix 'A' item-72-74.

.....

The proposals made by the Sub-Committee of Secretaries appointed vide General Administration Department Resolution under reference to examine the recommendations made by the Pay Committee regarding making temporary posts permanent and improving the conditions of service of the work-charged and contingency-paid staff, have been carefully considered by Government and Government's orders in this behalf are enclosed in the form of a statement. The orders of Government indicated in column 4 of the Appendix (enclosed) are in continuation of the earlier orders contained in the General Administration Department Resolution, dated the 30th November 1960, mentioned under reference.

In regard to conversion of temporary posts into permanent ones, the orders of Government shown in column 4 against S.No. 72 in the Appendix must not be deemed to carry the requisite Government sanction for the creation of permanent posts so described. Each Department should frame proposals for making temporary posts.

...2....

permanent in the Establishments subordinate to it in the light of the orders in column 4 of the Appendix, and take necessary action to get them sanctioned in the usual manner after following the prescribed procedure.

3. Necessary amendments to the relevant provisions of the respective rules, e.g., Fundamental Rules, Financial Rules, pension rules, liveries rules, Public Works Department Manual, etc., in the context of the orders summarised in the Appendix will be issued by the departments concerned.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

Sd/- R.P. NORONHA,
Addl. Chief Secy. to Govt.,
Madhya Pradesh.

---

No. 227-CR-180/I-PC, dated Bhopal, the 17th September 1962-
Bhadra 26, 1884.

Copy, with three spare copies, forwarded to the Finance Department for information and favour of communication to the Accountant General, Madhya Pradesh.

(Twenty additional copies for F.D.)
(Hundred additional copies for A.G.)

---

Copy forwarded to the:-

Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
Chairman, Public Service Commission, Madhya Pradesh, Indore,
Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Pradesh,
Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat, Bhopal,
Registrar/Establishment Officer/Accounts Officer, Madhya-Pradesh Secretariat, Bhopal,

for information.

Sd/-R.S.S.Rao
Deputy Secretary.

APPENDIX

| (1) | Chapter & Para No. of Pay Committee's Report. (2) | Recommendations of the Pay Committee. (3) | Further Orders of Government (4) |
|---|---|---|---|
| | Chapter XLII Para 5. | Temporary Employees- If the posts have been in existence for three years and are required for work of a permanent nature they should be made permanent and the employees confirmed. | Conversion of temporary posts into permanent posts- All temporary posts should be classified into the following three categories:- Category I Temporary posts sanctioned in the set-ups of various departments as approved by Government. Category II Temporary posts sanctioned by Government over and above those sanctioned in the departmental set-ups. Category III Temporary posts which may be created in future. Category I 80% of the temporary posts in class I, II and III sanctioned in the set-ups of various departments, which are likely to be required for more than five years should be made permanent. As regards class IV posts, 50% of the following categories of temporary posts should be made permanent.....4.... |

# APPENDIX

| Chapter & Para No. of Pay Committee's Report. | Recommendations of the Pay Committee. | Further Orders of Government |
|---|---|---|
| (2) | (3) | (4) |
| Chapter XLII Para 5. | Temporary Employees- If the posts have been in existence for three years and are required for work of a permanent nature they should be made permanent and the employees confirmed. | Conversion of temporary posts into permanent posts- All temporary posts should be classified into the following three categories:- Category I Temporary posts sanctioned in the set-ups of various departments as approved by Government. Category II Temporary posts sanctioned by Government over and above those sanctioned in the departmental set-ups. Category III Temporary posts which may be created in future. Category I 80% of the temporary posts in class I, II and III sanctioned in the set-ups of various departments, which are likely to be required for more than five years should be made permanent. As regards class IV posts, 50% of the following categories of temporary posts should be made permanent.....4..... |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|

if the department considers that they would be required for more than five years.

1. All Departments:-

(1) Daftari
(2) Record supplier.

2. Sales Tax:-

(1) Process server.

3. Forest:-

(1) Forest guard.

4. Public Works Department:-

(1) Pressman and Blue Printer.

5. Director of Geology and Mining:-

(1) Laboratory Assistant
(2) Section Cutter.

6. Government Printing:-

(1) Litho Pressman.
(2) Machineman Assistant.
(3) Dark-room Assistant.

7. Public Health Engineering:-

(1) Lineman.

8. Director of Veterinary Services:-

(1) Dresser Grade II.
(2) Fishery Jamadar.

9. District and Sessions Judges:-

(1) Process Server.

10. Education (Collegiate):-

(1) Laboratory Attendant.
(2) Assistant Instructor.
(3) Skilled Attendant.
(4) Assistant Mechanic.
(5) Section Cutter.
(6) Assistant Fitter.
(7) Asstt. Instrument repairs

.....5.....

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|

11. Public Health:-

(1) Laboratory Attendant.
(2) X-ray Attendant.
(3) Theatre Assistant.
(4) Animal Attendant.
(5) Dresser.

Category II

Every department should examine the necessity of making any of the posts mentioned in category II permanent in the usual manner. It is not necessary to prescribe any percentage of the posts mentioned in this category for making them permanent.

Category III

As regards temporary posts to be created in future, Government consider that it is not advisable to lay down any percentage for such posts for making them permanent. The proper solution is to take action to strengthen the cadre after taking into account the requirements of staff for the Third Five Year Plan, as is being done in respect of the I. A. S. and State Civil Service Cadres.

As there can be no permanent posts in a temporary department, it is not possible to prescribe any percentage in respect of temporary posts in temporary departments for making them permanent. In order to give adequate opportunities to the temporary staff in temporary departments for absorption else-where, such temporary staff may be allowed to apply freely for permanent posts.

.....6....

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 73. | Chapter XIII Para 6. | Work-charged Staff<br><br>The recommendations of the Central Pay Commission in this behalf are enclosed | Work-charged Staff<br><br>(a) Government have decided that the following categories of work-charged staff should be given the benefits detailed in para (b) below:-<br><br>Categories of work-charged staff eligible for the benefits shown in para (b):-<br><br>(1) Overseers.<br>(2) Sub-Overseers.<br>(3) Mistries.<br>(4) Time-keepers.<br>(5) Engine-drivers.<br>(6) Fitters.<br>(7) Drivers of tractors, heavy machinery and other vehicles.<br>(8) Fireman.<br>(9) Conductors.<br>(10) Khansamas.<br>(11) Mates.<br>(12) Care-takers.<br>(13) Chowkidars.<br>(14) Waiters.<br>(15) Pump attendants and drivers.<br>(16) Lineman.<br>(17) Foreman.<br>(18) Carpenters.<br>(19) Electricians.<br>(20) Plumbers.<br>(21) Wiremen.<br>(22) Assistant fitters.<br>(23) Moulders.<br>(24) Turners.<br>(25) Mechanics.<br>(26) Artisans.<br>(27) Cleaners.<br>(28) Lathe-operators.<br>(29) Helpers.<br>(30) Work-shop Munshis.<br>(31) Telephone Clerks.<br>(32) Assistant Mechanics.<br>(33) Blacksmiths.<br>(34) Welders. |

.....7.....

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|

(b) Benefits given to work-charged staff.

(i) GRATUITY

Gratuity should be paid at the rate of one third of amonth's pay for each completed year of service, subject to a maximum of 30 years, gratuity being admissible only if the person concerned has put in a minimum of five years service.

(ii) EARNED LEAVE

Earned leave should be allowed at the rate of 10 days in a year provided that the individual has put in more than one year's service and no substitute is appointed during the period of earned leave. Earned leave will be calculated on the continuous service rendered during the period immediately prior to the commencement of the leave. Earned leave will in no case accumulate for more than 30 days.

(iii) CASUAL LEAVE

Casual leave upto 10 days in a year should be granted. The benefit of earned leave should be given after one year's continuous service. Casual leave can be given from the first year.

GANGMEN IN P. W. D.

Gangmen in the Public Works Department who are employed on maintenance should also be given the benefits of gratuity and earned leave as in the case of work-charged staff on the conditions specified in paragraph (b) (i) and (ii) above.

Casual leave not exceeding seven days in a year should be granted to the gangmen.

.....8.....

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| | | | MEDICAL ATTENDANCE |
| | | | The question regarding the application of the Madhya-Pradesh Civil Servants (Medical Attendance Rules) 1959, to members of the work-charged establishment employed continuously on monthly wages in all departments should be examined in detail by the Public Health Department. |
| 74. Chapter XLII, Para 7. | Contingency-paid Staff | | Contingency-paid Staff |
| | | Drivers, Chowkidars, Sweepers attached to the Raj Bhawan and Ministers and similar employees in other departments now paid from contingencies should be made regular Govt. Servants. | The benefits of gratuity, earned leave and casual leave should also be granted to the following categories of staff paid from contingencies on the same conditions as have been specified in paragraph (b)(i), (ii) and (iii) in respect of the work-charged staff:-<br>(1) Dresser.<br>(2) Kotwar.<br>(3) Mate (If he is the same as supervisory staff in the Public Works Department)<br>(4) Air Compressor Operator.<br>(5) Air Compressor Driller.<br>(6) Butler.<br>(7) Black-smith.<br>(8) Fitter.<br>(9) Mukadam.<br>(10) Plumber.<br>(11) Turner.<br>(12) Rotar mechanic.<br>(13) Tracer.<br>(14) Driver of Bus/Motor Car/ Truck/Jeep/Ambulance/ Pick-up Van. |

.....9.....

| (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|

Benefits Common to work-charged and contingency-paid Staff:-

Provision of Uniforms and protective clothing:-

Uniforms for hot weather only should be supplied to the following categories of work-charged and contingency paid staff:-

(1) Drivers of staff cars and cars attached to officers at District level and above.

(2) Khansamas.

(3) Chowkidars.

(4) Waiters.

(5) Foreman and mechanics actually engaged on machines so as to make their clothes dirty.

(6) Ward boys in hospitals and dispensaries.

(7) Lift-man in all departments.

(8) Sweepers in all District and Divisional Headquarters Hospitals.

Protective garments and other accessories should be supplied to the following categories of work-charged and contingency paid staff:-

(1) Workers in factories belonging to Government, in respect of whom there is a statutory obligation for supply of protective garments and other accessories on an 'occupier' under these provisions of the Indian Factories Act and similar Acts, if any;

.....10.....

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|

(2) Laboratory attendants in educational institutions;

(3) Persons working in operation theatres.

Contributory Provident Fund

The benefit of contributory Provident Fund need not be granted to the work-charged and contingency-paid staff.

Housing and Educational Assistance.

No special facilities regarding housing and educational assistance need be granted to work-charged and contingency-paid staff.

Appointments to posts in regular Establishments.

Other things being equal, persons holding work-charged or contingency-paid posts should be given preference in making appointments to posts in regular establishments.

Minimum age limit for entering the work-charged and contingency-paid Establishments.

The minimum age limit for entry into class IV service is 18 years, and the same should apply in respect of the work-charged and contingency-paid establishments. No maximum age limit for entry into work-charged and contingency-paid establishments need be fixed.

General

All Departments of Government should carefully examine the existing number of posts in the work-charged and contingency-paid establishments and take action to reduce them to the extent that may be found feasible in order to keep the additional burden to the minimum.

*****

अधि. क्र. एवं दिनांक (व)

(9) सी/ 3-4/87/3/1, 7-5-1987 तथा ज्ञा. क्र. एवं दि.

(10) सी/ 3/4/87/3/1, 10-6-1987

कोई व्यक्ति जो पहले ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा या किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाये, उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिये सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षण पर स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा। परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर एवं सम्बन्धित शासकीय सेवक के उपयुक्त पाये जाने पर उसे स्थायी किया जायेगा, किन्तु यदि स्थायी पद उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि "स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जायेगा।"

**5. स्थायीकरण के लिये समिति-** पदोन्नति से नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के प्रकरणों में निर्णय लेने के लिये विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन करने का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 2501/2190/86/(एक) 1, दिनांक 24-9-86 में किया गया है। उक्त परिपत्र के अनुसार स्थायीकरण के प्रकरणों में वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो लोक सेवा आयोग एवं विभागों द्वारा पदोन्नति के प्रकरणों में अपनाई जाती है। इन शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के प्रकरणों के निपटारे के लिये एक समिति का गठन किया जाये जिसमें सम्बन्धित विभाग के एवं लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि हों। स्थायीकरण समिति की बैठक में लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि के भाग लेने के फलस्वरूप, उनकी सिफारिश के सम्बन्ध में पुनः लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

**6. स्थायीकरण के लिये गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन-** जहाँ तक स्थायीकरण के लिये गोपनीय प्रतिवेदनों को देखने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी- 3-4/83/3/1, दिनांक 2-7-1983 में दिये गये हैं, जिसके अनुसार स्थायीकरण करने की निर्धारित तिथि से, दो वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदनों के परीक्षणोपरान्त, उपयुक्तता निर्धारित की जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

7. (अ) अतः सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, अस्थायी/स्थानापन्न शासकीय सेवक, जिन्हें अब तक नियमानुसार स्थायीकरण की पात्रता हो चुकी है, को स्थायी करने की कार्यवाही दिनांक 30-4-93 तक निश्चित रूप से सम्पन्न हो जाए।

(ब) इस बारे में एक प्रमाण पत्र इस विभाग को

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ0क्र0 सी-3/4/83/3/1 भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 1983

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- दक्षतावरोध पार करने की स्वीकृति एवं स्थायीकरण के लिए गोपनीय प्रतिवेदन देखना ।

---

वर्तमान में दक्षतावरोध पार करने और स्थायीकरण के लिए कितने वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन विचार में लिये जावे इसके बारे में कोई सामान्य निर्देश न होने से विभागों द्वारा एक जैसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है । इस प्रश्न पर विचार कर अब राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दक्षतावरोध पार करने या स्थायीकरण करने की निर्धारित तिथि के 2 वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदनों के परीक्षणोपरान्त उपयुक्तता निर्धारित की जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाय, परन्तु निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान रखना आवश्यक है :-

(1) अधिकारी/कर्मचारी की चरित्रावलियों में निष्ठा पर कोई प्रतिकूल टीका नहीं होना चाहिए ।

(2) यद्यपि केवल 2 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जावेगा परन्तु उपयुक्तता चरित्रावलियों के समग्र विश्लेषण (Overall assesement पर आधारित होगी, अर्थात यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन आधार इतना सशक्त रहा हो कि वह दक्षतावरोध पार करने अथवा स्थायीकरण के उपयुक्त नहीं माना जाता तो केवल 2 वर्षों के

--2--

अच्छे प्रतिवेदन पर ही उसे दक्षतावरोध पार करने या स्थायी करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

के०एन० श्रीवास्तव
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग ।

पृष्ठांकन क्रमांक सी-3/4/83/3/1 भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 1983

प्रतिलिपि :-

1: निबन्धक, उच्च न्यायालय, म०प्र० जबलपुर ।
लोकायुक्त, म०प्र० भोपाल ।
सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर ।

2: राज्यपाल के सचिव, भोपाल ।
सचिव, म०प्र० विधान सभा, भोपाल ।

3: मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/
उप मंत्रीगण के निजी सचिव ।

4: सचिव/विशेष सचिव, /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**मंत्रालय**
**महानदी भवन, नया रायपुर**

क्रमांक एफ 1–1/2012/1–3, रायपुर, दिनांक 21/05/2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़।

विषय :– बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में ।

संदर्भ :– इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक 1–1/2012/1–3, दिनांक 17.01.2012

——000——

उपरोक्त विषयक संदर्भित अधिसूचना के अनुसार बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के सीधी भरती के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती होंगे।

2/ उक्त प्रावधान को सरल (Facilitate) करने के लिए कुछ विभागों के राज्य संवर्ग को जिला संवर्ग में परिवर्तित भी किया गया है। जिला संवर्ग में नियुक्त कर्मचारी का स्थानांतरण सामान्यतः अन्य जिले में नहीं किया जा सकता है।

3/ इस संबंध में शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 17.01.2012 जारी होने के पूर्व से ही विभिन्न जिलों में कार्यरत कर्मचारियों की संवर्गवार वरिष्ठता सूची, प्रचलित प्रावधानों के अनुसार पूर्व के जिले में ही संधारित की जाएगी एवं उसी वरिष्ठता के आधार पर भविष्य में उनकी पदोन्नति भी होगी तथा प्रशासकीय आधार पर उनका अन्तर–जिला स्थानान्तरण भी हो सकेगा। लेकिन उक्त अधिसूचना दिनांक 17.01.2012 जारी होने के पश्चात् एवं भविष्य में अन्य संभाग के जिलों से स्थानांतरित होकर बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में पदस्थ होने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता, स्थानान्तरित नए जिले में उनके संवर्ग में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों के ठीक नीचे निर्धारित होगी तथा उनके मामले में अन्तरजिला स्थानान्तरण प्रतिबंधित करने संबंधी समस्त निर्देश लागू होंगे।

5/ उपरोक्त निर्देशों का कृपया कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

( के.आर.मिश्रा )
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

-- क्रमशः....2

पृ0क0 एफ 1–1/2012/1–3, रायपुर, दिनांक 21/05/2013

प्रतिलिपि :–

01. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
02. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
04. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
05. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
06. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
07. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
08. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
09. मुख्य सचिव के अवर सचिव, रायपुर,
10. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मा0 मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण छत्तीसगढ़ रायपुर,
11. संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़,
12. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
13. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **http://www.cg.nic.in/gad** पर अपलोड करने हेतु,
14. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (समस्त कक्ष) मंत्रालय–रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

21/5/13

( एम.आर. ठाकुर )
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**मंत्रालय**
**महानदी भवन, नया रायपुर**

कमांक एफ 1–2/2012/1/3, नया रायपुर, दिनांक 7/10/2013

**प्रति,**

**शासन के समस्त विभाग,**
**अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर,**
**समस्त विभागाध्यक्ष,**
**समस्त संभागीय आयुक्त,**
**समस्त कलेक्टर,**
**समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत**
**छत्तीसगढ़.**

**विषयः–शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के संबंध में।**

संदर्भ :–इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 18 अप्रैल, 2012.

———:::———

कृपया विषयांतर्गत इस विभाग का संदर्भित परिपत्र देखें, जिसकी कंडिका–3 में इस विभाग के परिपत्र कमांक 6901/3904/एक (1), दिनांक 12.10.1972 के अनुसार उल्लेख किया गया है कि "जो नियुक्तियां सीधी भरती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से परिवीक्षा पर की गई हों, उन पर कार्यरत शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के लिए लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है। इन मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों में लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही स्थायीकरण आवश्यक है।"

2/ शासन के कतिपय विभागों में यह भ्रांति है कि क्या तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों, जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से न की गई हो, के स्थाईकरण के लिए भी लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता है अथवा नहीं ? इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवक, जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं होती है, उनके स्थायीकरण हेतु लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

3/ इस विभाग के संदर्भित परिपत्र के अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

(के.आर. मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....2...

पृ0 क्रमांक एफ 1–2/2012/1/3 नया रायपुर, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपिः–

01. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
02. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
03. सचिव, विधानसभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर,
04. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
05. कार्यालय, महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
06. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
07 सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
08. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
09. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग/सूचना का अधिकार आयोग, रायपुर,
10. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
11. मुख्य सचिव के अवर सचिव, रायपुर,
12. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मा0 मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण छत्तीसगढ़ रायपुर,
13. संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
14. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़
15. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष–9) सामान्य प्रशासन को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 1 प्रति सहित प्रेषित,
16. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभग (समस्त कक्ष) मंत्रालय–रायपुर,
17. राज्य सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को सामान्य प्रशासन विभाग, की वेबसाईट **htt://www.cg.nic.in/gad** में अपलोड करने हेतु अतिरिक्त प्रति सहित, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

07/10/13

(एम.आर. ठाकुर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**मंत्रालय,**
**महानदी भवन, नया रायपुर**

क्रमांक एफ 1–1/2016/1–3 नया रायपुर, दिनांक 15/02/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़।

विषयः–राज्य प्रशासनिक सेवा/राज्य पुलिस सेवा/राज्य वन सेवा/राज्य वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में नियमों में संशोधन की अधिसूचना ।

---

राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भरती द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए राज्य प्रशासनिक सेवा/राज्य पुलिस सेवा/राज्य वन सेवा/राज्य वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परस्पर अंतिम वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्राप्त अंको को 88% तथा परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंको को 12% अधिमान्यता देते हुए कुल अभिप्राप्त अंको को जोड़कर उसकी मेरिट सूची के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

2/ उपरोक्त के संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 नियम 12(1) (क) में संशोधन संबंधी इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2016/1–3, दिनांक 7.2.2017 की छायाप्रति जानकारी हेतु संलग्न है ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

15/2/17

(एम.आर. ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 1–1/2016/1–3 नया रायपुर, दिनांक 15/02/2017

**प्रतिलिपिः–**

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
2. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, सचिवालय, जीरो पाईट रायपुर।

–2–

6. विशेष सहायक/निज सचिव समस्त मान. मंत्रीगण/संसदीय सचिव मंत्रालय, नया रायपुर।
7. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर ।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर ।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली ।
14. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
15. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष–9), सामान्य प्रशासन विभाग को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु (अतिरिक्त 1 प्रति सहित) प्रेषित ।
16. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, नया रायपुर, (सा0प्र0वि0 की वेबसाईट www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15/7/17

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन,**
**सामान्य प्रशासन विभाग,**
**मंत्रालय,**
**महानदी भवन, नया रायपुर**

**अधिसूचना**

नया रायपुर, दिनांक 7/02/2017

क्रमांक एफ 1–1/2016/1–3– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

**संशोधन**

**उक्त नियमों में,**

नियम 12 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (क) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"परन्तु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भरती द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा एवं राज्य वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों को 88% तथा परिवीक्षा की कालावधि के दौरान संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों को 12% (10% अंक प्रशिक्षण के दौरान आयोजित परीक्षा के लिये तथा 2% अंक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों के व्यक्तित्व, व्यवहार, उपस्थिति एवं समय की पाबंदी तथा उन्हें दिए गए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर) अधिमान्यता देते हुए, कुल अभिप्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी।"

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार,**

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**मंत्रालय**
**महानदी भवन, नया रायपुर**

कमांक एफ 1–1/2016/1–3, नया रायपुर, दिनांक 21 /03/2017

प्रति

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ .

**विषयः– राज्य प्रशासनिक सेवा/राज्य पुलिस सेवा/राज्य वन सेवा/राज्य वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन की जानकारी।**

संदर्भः– इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7.2.2017 एवं परिपत्र दिनांक 15.2.2017.

———

राज्य प्रशासनिक सेवा/राज्य पुलिस सेवा/राज्य वन सेवा/राज्य वित्त सेवा में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भरती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाती है। छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12(क) के प्रावधानों के अनुसार सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता पद ग्रहण की तारीख का विचार किए बिना उस योग्यता कम के आधार पर अवधारित की जाती है, जिसमें नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की गई है।

2/ यह पाया जा रहा था कि उपरोक्त राज्य सेवाओं में परिवीक्षा पर नियुक्त अधिकारी उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षा के परिणामों को गंभीरता से नहीं लेते है, क्योंकि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12(क) के उपरोक्त प्रावधान उनकी परस्पर वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करते हैं। अतः राज्य शासन द्वारा उपरोक्त सेवाओं के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए संदर्भित अधिसूचना दिनांक 7.2.2017 द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12(क) में परन्तुक जोड़ा गया है। उक्त अधिसूचना की प्रति आपको संदर्भित ज्ञापन दिनांक 15.2.2017 द्वारा जानकारी हेतु प्रेषित की गई है।

3/ उक्त अधिसूचना द्वारा नियमों में किए गए संशोधन के फलस्वरूप अब उपरोक्त सेवाओं के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता, लोक सेवा आयोग की परीक्षा के प्राप्तांकों को 88 प्रतिशत अधिमान्यता देते हुए तथा परिवीक्षा अवधि के दौरान आयोजित प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा के प्राप्तांकों को 12 प्रतिशत की अधिमान्यता देते हुए, कुल अभिप्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार अंतिम रूप से निर्धारित की जाएगी।

निरंतर....2

4/ उपरोक्त राज्य सेवाओं के अलावा, लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन के अन्य विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले अन्य पदों पर परिवीक्षा पर नियुक्त अधिकारियों की परस्पर अंतिम वरिष्ठता का निर्धारण प्रशासकीय विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से उपरोक्तानुसार किया जा सकेगा।

5/ कृपया उपरोक्तानुसार वरिष्ठता निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(विकास शील) 21/3/17
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क एफ 1–1/2016/1–3, नया रायपुर, दिनांक 21/03/2017

प्रतिलिपिः– **सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. समस्त मान. मंत्रीगण/संसदीय सचिव के विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, नया रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर।
13. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
14. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **www.cg.nic.in/gad** पर अपलोड हेतु।

(विकास शील) 21/3/17
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ–1–1/2017/1–3 नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषयः– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन।

—:00:—

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन के संबंध में दिनांक 13 जुलाई, 2017 को जारी अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2017/1–3 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(एम.आर. ठाकुर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ–1–1/2017/1–3 नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2017

प्रतिलिपिः–

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

01. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
02. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर,
03. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर,
04. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
05. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
06. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
07 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
08. सचिव, समस्त आयोग/निगम/मंडल, छत्तीसगढ़,

2...

09. मान. मंत्रीगण/मान. संसदीय सचिव गण के विशेष सहायक/निज सचिव, छत्तीसगढ़, नया रायपुर,
10. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
11. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष–9) सामान्य प्रशासन को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 1 प्रति सहित प्रेषित,
12. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभग (समस्त कक्ष) मंत्रालय–रायपुर,
13. राज्य सूचना अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को सामान्य प्रशासन विभाग, की वेबसाईट **htt://www.cg.nic.in/gad** मैं अपलोड करने हेतु अतिरिक्त प्रति सहित,

15/7/17

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 जुलाई, 2017

अधिसूचना

कमांक एफ 1–1/2017/1/3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 6 में, उप–नियम (6) का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(विकास शील) 14/7/17
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 13 जुलाई,2017

कमांक एफ 1–1/2017/1/3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना एफ 1–1/2017/1/3 दिनांक13 जुलाई, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(विकास शील) 14/7/17
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला–रायपुर

**कमांक एफ 1–1/2017/1–3,** नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/07/2020

**प्रति,**

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़.

**विषयः– राज्य शासन की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन।**

———:::———

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उप–नियम (1) में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन के संबंध में राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 28 जुलाई, 2020 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित् है।

2/ उक्त संशोधन के फलस्वरूप शासन के समस्त विभागों के भर्ती नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। अतः समस्त विभागों के भर्ती नियम में जब तक विभागों द्वारा अपने–अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण नहीं कर ली जाती है, तब तक समस्त विभागों के भर्ती नियम यथा आवश्यक स्वमेव संशोधित माने जायेंगे।

**संलग्न :– उपरोक्तानुसार**

(एस.के. सिंह)
अवर सचिव
29.7.2020
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....2

पृ. कमांक एफ 1–1/2017/1–3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/07/2020

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
7. निज सचिव/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर।
8. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव, राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
12. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
13. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/समस्त अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
14. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
16. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
29.7.2020

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020—श्रावण 6, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 8 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमत: 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**कमलप्रीत सिंह**, सचिव.

**छत्तीसगढ़ शासन**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**मंत्रालय**
**महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,**
**जिला–रायपुर**

**कमांक एफ 1–1/2017/1–3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08/03/2021**

**प्रति,**

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़.

**विषयः– सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किये जाने बाबत्।**

**संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र कमांक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 29.07.2020 तथा वित्त विभाग का निर्देश कमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 29.07.2020.**

———:::———

उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों का कृपया अवलोकन करें। (छायाप्रति संलग्न)

2/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2017/1–3, दिनांक 28.07.2020 में **छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम–8 के उपनियम 1** में संशोधन कर "**किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा**" का प्रावधान किया गया है तथा दिनांक 29.07.2020 को प्रसारित निर्देश में यह कहा है कि समस्त विभागों के भर्ती नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। जब तक समस्त विभागों द्वारा अपने–अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण नहीं कर ली जाती तब तक सभी विभागों के भर्ती नियम **स्वमेव** संशोधित माने जावेंगे।

3/ इसी तारतम्य में वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020 दिनांक 28.07.2020 में **छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22सी के उप–नियम (1)** में किये गये संशोधन के फलस्वरूप सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियत स्टायपेण्ड देय होगा तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत

.....2

किया जायेगा।

4/ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उप–नियम (1) **तथा** छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22सी के उप–नियम (1) में किये गये संशोधन **राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावशील है।**

5/ उक्त प्रावधान लागू होने के उपरांत भी कतिपय विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों/ कलेक्टर कार्यालयों द्वारा शासन के उपरोक्त नियम/निर्देशों के विपरीत **02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि** पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहें हैं, जो सर्वथा शासन के नियम/निर्देशों के विपरीत है।

6/ अतः आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि जिन विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों/कलेक्टर कार्यालयों एवं शासन के अधीनस्थ निगम/मंडल/बोर्ड/ आयोग /प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं आदि में **दिनांक 28.07.2020** से की गई नियुक्ति में शासन के नियम/निर्देशों के विपरीत **02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि** पर जारी नियुक्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, **03 वर्ष की परिवीक्षा** के साथ नियत स्टायपेण्ड पर करने का आदेश जारी करें।

7/ उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत करावें। ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी, जो उक्त निर्देश की अवहेलना करते हुए, **02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि** पर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना पाया जाता है तो, उन नियुक्ति प्राधिकारियों के विरूद्ध **कठोर अनुशासनात्मक** कार्यवाही की जावेगी।

8/ उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

**संलग्न :– उपरोक्तानुसार**

(एस.के. सिंह)
अवर सचिव
08.3.2021
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....3

पृ. कमांक एफ 1–1/2017/1–3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 08/03/2021

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
7. निज सचिव/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर।
8. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव, राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
12. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
13. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/समस्त अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
14. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
16. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

अवर सचिव 08.3.2021
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला–रायपुर

**कमांक एफ 1–1/2017/1–3,** नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/07/2020

**प्रति,**

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़.

**विषयः– राज्य शासन की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन।**

———:::———

छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उप–नियम (1) में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन के संबंध में राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 28 जुलाई, 2020 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित् है।

2/ उक्त संशोधन के फलस्वरूप शासन के समस्त विभागों के भर्ती नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। अतः समस्त विभागों के भर्ती नियम में जब तक विभागों द्वारा अपने–अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण नहीं कर ली जाती है, तब तक समस्त विभागों के भर्ती नियम यथा आवश्यक स्वमेव संशोधित माने जायेंगे।

**संलग्न :– उपरोक्तानुसार**

(एस.के. सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
29.7.2020

.....2

पृ. कमांक एफ 1–1/2017/1–3, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/07/2020

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
7. निज सचिव/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर।
8. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव, राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
12. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
13. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/समस्त अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
14. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
16. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

अवर सचिव
29.7.20
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020—श्रावण 6, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 8 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमत: 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**कमलप्रीत सिंह**, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3 दिनांक 28 जुलाई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**कमलप्रीत सिंह**, सचिव.

Atal Nagar, the 28th July 2020

NOTIFICATION

No. F 1-1/2017/1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (1) of rule 8, the following shall be substituted, namely :—

"(1) A person appointed to a service or post by direct recruitment shall be placed on probation for first three years."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMAL PREET SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रायपुर में मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर

क्र372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक29/07/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

**विषयः–सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किये जाने बाबत्**

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में सीधी भर्ती से नियुक्त शासकीय सेवकों को सामान्यतः वेतनमान के न्यूनतम पर 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। अब राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के समस्त पदों, जिसमें लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा ली जाने वाली ऐसी सभी सेवाओं के पद भी सम्मिलित हैं, के लिए छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 22 सी (1) में शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के पद पर 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने एवं परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जाये। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाये।

2. राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय विभागों/ कार्यालयों के साथ–साथ सभी निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त–स्वशासी संस्थाओं आदि में भी सीधी भर्ती के पद पर परिवीक्षा पर रखे जाने की अवधि में और परिवीक्षा में देय राशि के प्रावधान में उपरोक्तानुसार परिवर्तन किया जाये।

3. (1) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने के संबंध में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020, दिनांक 28.07.2020 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28.07.2020 में हो चुका है।

(2) छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22सी (1) में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत; द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड देय होगा, परन्तु

परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी सम्मिलित है।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1/3, दिनांक 28 जुलाई 2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8(1) संशोधित करते हुए किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखने का प्रावधान किया गया है।

(4) वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिसूचनाओं की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

4. (1) राज्य के सभी निगम/मंडल/आयोग/ प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त–स्वशासी संस्थाओं आदि के लिए निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये:–

सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त **कर्मियों** को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:–

प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;

द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;

तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत;

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते **कार्यरत अन्य कर्मियों** की तरह प्राप्त होंगे।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब कर्मी का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

(2) नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने के संबंध में अनुषांगिक कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित प्रशासकीय विभागों/संस्थाओं को अधिकृत किया जाता है।

5. यह निर्देश दिनांक 28 जुलाई, 2020 से प्रभावशील माना जायेगा।

संलग्नः–यथोपरि

29/7/20

(अमिताभ जैन)
अपर मुख्य सचिव

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020—श्रावण 6, शक 1942

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

### अधिसूचना

क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 22सी के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) (क) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :—

प्रथम वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;
द्वितीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत;
तृतीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत;

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे.

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा.

(ग) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी सम्मिलित है."

No. 367/Fin./Rule/IV/2020.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Fundamental Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (1) of rule 22 C, the following shall be substituted, namely :—

"(1) (a) The following stipend shall be payable to the Government Servant selected on the posts of direct recruitment during the probation period of three years :—

First year — 70 percent of the minimum of the pay scale of the post;
Second year — 80 percent of the minimum of the pay scale of the post;
Third year — 90 percent of the minimum of the pay scale of the post;

Provided that during probation period, other allowances along with stipend shall be received as a Government Servant.

(b) On confirmation in the service or post after the expiry of the period of probation, the pay of the Government Servant shall be fixed at minimum in the time-scale applicable of the service or the post.

(c) The Government Servant selected on the posts of direct recruitment also includes the appointment of selected candidates through Chhattisgarh Public Service Commission."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020—श्रावण 6, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 8 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमत: 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3 दिनांक 28 जुलाई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 28th July 2020

NOTIFICATION

No. F 1-1/2017/1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (1) of rule 8, the following shall be substituted, namely :—

"(1) A person appointed to a service or post by direct recruitment shall be placed on probation for first three years."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMAL PREET SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

पृ.क्र.373/260/ वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर,अटल नगर दिनांक29.07.2020

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
9. अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19 समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु

(आनंद मिश्रा)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला–रायपुर

कमांक एफ 1–1/2017/1–3, अटल नगर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़.

**विषयः– राज्य शासन की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन।**

——:::——

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 के उप नियम 5(घ) के पश्चात् (ङ) जोड़ा गया है। उक्त संशोधन के संबंध में राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित् है।

**संलग्न :– उपरोक्तानुसार**

(एस.के. सिंह)
अवर सचिव
31.10.22
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

**पृ. कमांक एफ 1–1/2017/1–3, अटल नगर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2022**

**प्रतिलिपिः–**

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान संभा सचिवालय, जीरो पाईट, रायपुर।

पृ. कमांक एफ 1—1/2017/1—3, अटल नगर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2022

प्रतिलिपिः—

6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
7. निज सचिव/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर।
8. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव, राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
12. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
13. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/समस्त अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
14. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
16. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

अवर सचिव 31.10.22
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

No. 2679
Date 2/11/22
N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR

383
04/11/2022

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 630 ] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2022 — आश्विन 28, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 अक्टूबर 2022

### अधिसूचना

कमांक एफ 1–1/2017/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

### संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 5 के उप–नियम (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित (ङ) जोड़ा जाए, अर्थात्:–

**(ङ) अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में विशेष उपबंध.**– इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, नियम, आदेश, निर्देश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी राज्य शासन द्वारा अधिसूचित, अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर संभाग/सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा एवं गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिला के व्यापक विकास के लिए उक्त जिलों/संभाग में लोक सेवाओं में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति/संविलियन/संलग्नीकरण, जिला स्तरीय पदों पर जिले के एवं संभाग स्तरीय पदों पर संभाग के बाहर नहीं किया जायेगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 20 अक्टूबर 2022

क्रमांक एफ 1–1/2017/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2017/1/3 दिनांक 20–10–2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः– **बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित करने के संबंध में।**

––00––

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप–नियम (4) में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

"कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।"

2/ उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध – भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये।

3/ कृपया उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः ..... 2

पृ.क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2023

**प्रतिलिपिः–**

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
2. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर
4. रजिस्ट्रार, मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर अटल नगर
7. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य युवा आयोग/लोक आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)
9. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
10. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
12. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
13. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
14. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर
15. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन की वेबसाईट https://gad.cg.gov.in में अपलोड हेतु।

**की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

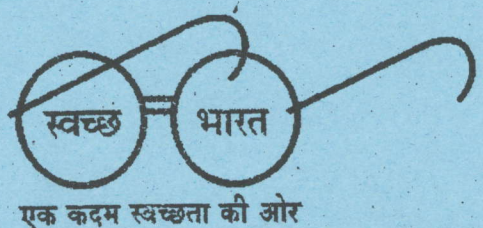


एक कदम स्वच्छता की ओर

शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर नवा रायपुर (छत्तीसगढ़) - 2024